

# **DUTIES OF FRONT LINE PROFESSIONALS TOWARDS SECURING JUSTICE FOR VICTIMS: A MANUAL**

॥ न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात् ॥



*by*

**CENTRE FOR CRIMINOLOGY AND VICTIMOLOGY**

**NATIONAL LAW UNIVERSITY, DELHI**

**2018**

# **DUTIES OF FRONT LINE PROFESSIONALS TOWARDS SECURING JUSTICE FOR VICTIMS: A MANUAL**

॥न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात्॥



*by*

**CENTRE FOR CRIMINOLOGY AND VICTIMOLOGY**

**NATIONAL LAW UNIVERSITY, DELHI**

**2018**



# **DUTIES OF FRONT LINE PROFESSIONALS TOWARDS SECURING JUSTICE FOR VICTIMS: A MANUAL**

## **PROJECT TEAM**

PROF. (DR.) G.S. BAJPAI

*Principal Researcher*

MR. MUKUL RAIZADA

MR. NEERAJ TIWARI

DR. RITU SHARMA

DR. BHARTI YADAV

MR. IQBAL AHMAD

DR. ANJU PUNEET SINGH

MR. SIDHARTH DAHIYA

MR. ANKIT KAUSHIK

## **STUDENTS MEMBERS**

PRASHASTHI BHAT, AYUSHI AGRAWAL, MADHULIKA AGARWAL,

NIKHIL ANAND, ARSHDEEP SINGH, NEHA JHA

KUMAR RAGHAV, YUSRA KHAN, PRARTHNA SHARMA

NIDHI KHANDELWAL, AADITYA ARORA, NITIN TYAGI

॥न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात्॥



**CENTRE FOR CRIMINOLOGY AND VICTIMOLOGY**

**NATIONAL LAW UNIVERSITY, DELHI**

**2018**





## About the Manual

Crime victims are integral to the Criminal Justice System in India. A victim of crime is one who triggers the criminal process. However, there is no systematic and uniform body of legal provisions entailing the status, rights and the victims in the legal system nor there is a clear body of guidelines or legal provisions guiding the police, prosecution, judicial officers and health professionals to deal with and address their grievances in keeping with the remarkable developments taking place in the realm of justice to crime victim.

This shortcoming has led us to research, document and compile a set of guidelines which portray important duties on the part of police, advocates, public prosecutor, judges, judicial officers, healthcare provisions, NGOs, media and employers. Through this concise manual, we intend to lay down a framework of important guidelines for all these functionaries so that justice can be secured for victims of crime. It is notable that most of these guidelines are a part of legal provisions under various legislations and therefore they are binding in nature.

There are few provisions in the manual which are in keeping with the mandate of various international instruments which are successfully working in other jurisdictions. They have been identified as best practices for the victims of crime. Many such guidelines can be made functional in the Indian context without requiring specific legal provisions or amendments in the existing laws. In other words, this kind of performance on the part of criminal justice agency could be a part of their discretion.

The manual entails a systematic compilation of guidelines which would be crucial at various stages of crime vis-à-vis reporting of FIR, investigation, engaging of advocate or public prosecutor charge sheet, trial etc. This manual is also an answer to the dilemma of cutting edge officials about their unclarity about their role towards crime victims. If adhered to, this manual is bound to guide the functionaries towards systematic assistance to the needs of victim and their assistance. Adequate focus is provided in this Manual to the role of judges in alleviating sufferings of crime victims.

*About the Manual*

We aim to circulate this manual across the country with the objective of spreading awareness as a lot can be done to assist crime victims without requiring independent legislative provisions.

**Prof. (Dr.) G.S. Bajpai**

Chairperson, Centre for Criminology & Victimology

Professor at K.L. Arora Chair in Criminal Law

Registrar, National Law University Delhi

## TABLE OF CONTENTS

I. Introduction.....	3
Victims and the Criminal Justice System.....	3
Victims and Their Rights .....	4
(a) Principle of Access to Justice and Fair Treatment .....	6
(b) Principle of Restitution .....	6
(c) Principle of Compensation.....	7
(d) Principle of Assistance.....	9
Objectives and Overview of the Document .....	9
II. Front Line Professionals—Duties and Obligations .....	10
A. Police/Law Enforcement .....	10
B. Advocates and Public Prosecutors.....	15
C. Judges and Judicial Officers .....	17
D. Health Care Professionals.....	20
E. Non-Governmental Organizations.....	22
F. Media.....	24
F. Employers.....	25
III. References and Suggested Readings .....	27
International Treatises .....	27
National Statutes.....	27
Reports.....	28
Cases.....	28
IV. Annexures .....	31
A. Rights of Victims Under the Code Of Criminal Procedure .....	31
B. Suggested Format for Victim Impact Statement .....	34



## **I. INTRODUCTION**

In 2016 a total of 48,31,515 cases under the Indian Penal Code as well as Special and Local Laws were reported in India with an incidence of nearly 380 cases per lakh of population. These crimes couldn't have been victimless. It goes without saying that every single one of these crimes is bound to have a victim who implored the state and its institutions to deliver justice. Even so, the very fact that of the twenty chapters in the 'Crime in India – 2016 Statistics' released by the National Crime Records Bureau, not a single chapter was devoted to victims and the assistance given to them, reflects a narrow mind-set of the state in focussing on the crime while failing to recognize and document the plight of the victims, let alone the actions taken to redress them.

### **VICTIMS AND THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

A crime is deemed to be an offence against the society. This presumption inadvertently introduces one of the greatest anomalies in our criminal justice system – that somewhere in the midst of de-humanized procedure, the victim comes to be equated with any other piece of evidence. With the state firmly in the driver's seat on the road to 'justice,' the victims inevitably find themselves without any say or immediate redress. In other words, the state through its institutions, guarantees to the victims' merely retributive justice completely ignoring its compensatory, distributary, social and restorative aspects. In Hobbesian terminology, the Leviathan fails the victims twice: first in failing to secure their life, liberty and property from the transgressions of another and in the second instance failing to fully and completely restore the victims to their rightful position.

It is a general but pithy observation that the statue of Lady Justice has a scale in one hand and a sword in the other. It signifies that justice will be balanced and the sword will be brought down upon those who are found to have wronged. Such traditional symbolisms may have been true about the political societies of the fore, but cannot withstand the rigorous scrutiny of twentieth century's rights based approach towards justice. The Lady Justice of our times requires several more limbs and instruments to discharge her duties. In the course of this document, we shall see that these rights transform into legal, moral and professional duties on part of everyone involved and that everyone involved is undoubtedly, a part of Lady Justice.

## **VICTIMS AND THEIR RIGHTS**

While defining the term – victim, the drafters of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power<sup>1</sup> deliberately gave it the widest amplitude so as to ensure maximum coverage. Two important consequences of a wide connotation of this term are that firstly, irrespective of the stage of the trial – apprehension, prosecution or conviction of perpetrator or even the relationship of the perpetrator to the victim, the victim continues to be treated as a victim and secondly, in appropriate circumstances, it treats as victims all persons, including the family of the victim, who suffer harm in the process of intervention to assist the victim or stop the victimization. For the above reasons as well as the purpose of this document, we adopt verbatim, the following definition given by the declaration:

*“Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.*

The academic discourse on the centrality of the victim’s position in a criminal justice system has now been deliberated well enough to influence the policies governing the justice systems across the world. Directive 2012/29/EU of the European Parliament establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime<sup>2</sup> meticulously sums up the conclusion of the deliberation in the following words:

*“...victims of crime should be recognised and treated in a respectful, sensitive and professional manner without discrimination of any kind based on any ground such as race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age, gender, gender expression, gender identity, sexual orientation, residence status or health. In all contacts with a competent authority operating within the context of criminal proceedings, and any service coming into contact with victims, such as victim support or restorative justice services, the personal situation and immediate needs, age, gender, possible disability and maturity of victims of crime should be taken into account while fully respecting their physical, mental and moral integrity. Victims of crime should be protected from secondary and repeat victimisation, from intimidation and from retaliation, should receive appropriate support to facilitate their recovery and should be provided with sufficient access to justice.”*

- 
1. Hereinafter referred to as the UN Declaration.
  2. Hereinafter referred to as the EU Directive.

## WHO IS A VICTIM?

Within the Indian legal framework, the term victim is defined under Section 2(wa) of the CrPC, 1973 as a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged and the expression victim includes his or her guardian or legal heir. This definition however suffers from glaring deficiencies. Firstly, that the loss or injury is not defined clearly and is subject to judicial interpretation. Secondly, the use of the phrase ‘act or omission of the accused person’ betrays a compartmentalized mind-set that fails to take into account the secondary victimization that occurs when the victims find it difficult or are unable to access justice in the compensatory, distributive, social and restorative sense of the term. Lastly, the definition also fails to provide rights to all persons who suffer harm in the process of assistance or while stopping the crime.

In comparison to the Indian definition, the Directive 2012/29/EU of the European Union defines a victim as a natural person who has suffered harm including physical, mental or emotional harm or economic loss which was directly caused by the criminal offence. It also means the family members of the person whose death was directly caused by the criminal offence and who have suffered harm as a result of that death. Family member is defined so as to include – spouse, person with whom the victim was in a committed intimate relationship, family members in direct line, the siblings and dependents. The definition of victim under the UK Code of Practise for Victims of Crime is in *pari materia* with the EU Directive.

The Canadian Victims Bill of Rights defines the victim as an individual who has suffered physical or emotional harm, property damage or economic loss as a result of the commission of the offence or the alleged commission of an offence. Where the victim is dead or incapable of exercising his/her rights, it allows for the spouse, any person cohabiting with the victim in a conjugal relationship, a relative or dependent and the legal or factual guardian of the victim, to act on behalf of the him/her and exercise such rights as granted by the act.

After decades of debates and discussions, experts and practitioners from all related disciplines have zeroed in on certain principles guaranteeing justice to victims which are *sine qua non* to a truly just criminal justice system without any prejudice to the rights of the perpetrator. These principles gained recognition of the international community as far back as 1985 when the UN



Declaration was adopted by the General Assembly. The declaration identified four such guiding principles, the phraseology of which, while identifying the duties of the member states, points towards the recognition of certain rights of the victims:

**(a) Principle of Access to Justice and Fair Treatment**

This principle includes, but is not limited to, the following rights:


- (i) Right to be treated with compassion and respect for their dignity.
- (ii) Right of access to justice.
- (iii) Right to be informed of their rights.
- (iv) Right to information w.r.t proceedings and their role in it.
- (v) Right to be heard and considered during proceedings, wherever appropriate.
- (vi) Right to be heard and considered at proceedings involving release, parole, plea or sentencing, wherever appropriate.
- (vii) Right to submit a Victim Impact Statement and for the same to be heard and considered in court, wherever appropriate.
- (viii) Right to proper assistance with legal process.
- (ix) Right to engage private advocate.
- (x) Right to minimal inconvenience.
- (xi) Right to privacy.
- (xii) Right to security and to be reasonably protected from the accused.
- (xiii) Right to speedy justice.
- (xiv) Right to conciliation/mediation/arbitration, wherever required.
- (xv) Right to prompt redress.

**(b) Principle of Restitution**

- (i) Right to full and timely restitution from the accused.
- (ii) Right to restitution from the accused includes return of property, payment for harm or loss, reimbursement of expenses, provision of services and restoration of rights.
- (iii) In the case of substantial harm to environment, such right includes restoration of environment, reconstruction of infrastructure, replacement of community facilities and reimbursement of the expenses of relocation (wherever appropriate).
- (iv) In case the perpetrator is a public servant acting in his official or quasi-official capacity, such right to restitution includes restitution from the state.

## SUPPORT SYSTEMS FOR VICTIMS OF CRIMES AGAINST WOMEN

Some categories of victims require specialized services for access to justice and assistance. A web of legislative framework has resulted in the availability of numerous support systems for victims of crimes against women such as rape, outraging the modesty of women, stalking, voyeurism, sexual harassment at workplace, domestic violence, dowry demand, acid attack, bigamy or polygamy, female foeticide, trafficking or prostitution, indecent representation etc. Mechanisms are also available in cases where there is an infringement of the right to live with dignity, right to exercise choice in marriage, gender discrimination w.r.t. the right to education and the right to work as well as police apathy against women. The following flow chart helps simplify the order in which such support systems can be accessed:



### (c) Principle of Compensation

This principle confers upon the victims who have suffered significant bodily injury or impairment of physical or mental health and their family the right to compensation from the state in the scenario where the compensation is not fully available or recoverable from the perpetrator. The state should encourage the establishment of national funds for this purpose.

## **COMPENSATION AND THE STATE**

Under section 357, compensation can be categorized into: a), where fine is a part of the sentence and b), where the fine is not a part of the sentence. Where the fine is a part of the sentence, compensation may be awarded for litigation expenses and any loss or injury caused by the offence. However, such payment need not be made until the period of appeal has lapsed, or the decision of the appeal where appeal has been filed. Where the fine is not a part of the sentence, the court may order the accused to pay compensation for any loss or injury by reason of the offence. However, both the abovementioned forms of compensation are subject to conviction upon the conclusion of a trial, which in the experience of the working of our judicial system, takes years. Moreover, this provision does not take into account that ability of the offender to pay such compensation.

In such a case, it is upon the state to compensate the victims for the loss, injury or harm suffered; since the state failed to protect them in the first instance. In pursuance of this obligation, section 357A was inserted in the CrPC which requires for the state governments to prepare victim compensation schemes in coordination with the central government. Where the court makes a recommendation for compensation, it has been left to the wisdom of the District or State Legal Services Authority to determine its quantum. In the event that the offender cannot be traced or identified, the victim may make an application to the DLSA/SLSA for compensation and adequate compensation must be granted within two months.

The DLSA/SLSA may also order for immediate first aid or medical benefits to be made available free of cost to the victim on the certificate of the police officer or a Magistrate or any other interim relief may also be granted. Section 357 C makes it mandatory for the all hospitals, public or private, to immediately provide first aid or medical treatment, free of cost, to the victims of offences covered under the provisions for acid attack or rape.

Section 357 B was inserted vide the Criminal Law Amendment Act of 2013 applies legislatively, the principle that Supreme Court has settled that compensation should be in addition to fine. However, a major drawback of the amendment is that, while the Supreme Court addressed the same in the context of all crimes and victims, the provision specifies compensation only for the purposes of Section 326A and Section 376D of the IPC while ignoring the victims of other offences.

**(d) Principle of Assistance**

- (i) Right to assistance: The victims are entitled to the necessary material, medical, psychological and social assistance through governmental, voluntary, community based and indigenous methods.
- (ii) Right to information regarding available health and social services.
- (iii) Right to access to health and social services.
- (iv) Right to be aided and handled by sensitized and trained personnel.
- (v) Right to assistance with regards to their special needs depending upon the nature of harm suffered.

**OBJECTIVES AND OVERVIEW OF THE DOCUMENT**

Keeping in view the abovementioned principles and the accompanying rights which cast a duty upon the state for their deliverance; this document seeks to first identify the front line professionals who deal with victims and then meticulously list out those duties which they are legally obligated to perform as well as those obligations which they're professionally expected to discharge. In identifying the professional obligations, we have not only referred to the Indian laws, codes of conduct and standard operating procedures, but have actively sought to include best practices from the around the world. This document therefore seeks to inform and empower the following front line professionals with the knowledge of their duties and obligations in their efforts to secure justice in the most comprehensive sense of the term. Conversely, the document is also a treasure cove of information for victims of crime as to their rights and expectations *vis-à-vis* the following functionaries:

- A. Police/Law Enforcement Agencies
- B. Advocates and Public Prosecutors
- C. Judges and Judicial Officers
- D. Health Care Professionals
- E. Non-Governmental Organizations
- F. Media (print, electronic and social)
- G. Employers

We proceed to the second part with two caveats. Firstly, that the duties and obligations so identified in the document are without prejudice to the rights of victims under special and local laws. Secondly, we have adopted a wide definition of the term – victim so as to ensure a minimum standard of rights to all victims regardless of the nature of offence committed against them.

## **II. FRONT LINE PROFESSIONALS—DUTIES AND OBLIGATIONS**

### **A. POLICE/LAW ENFORCEMENT**

Being the primary responders to a reported crime, the police/law enforcement agencies form the backbone of the criminal justice system. In lieu of failure of the state to prevent the crime, the police have a special obligation to help the victims cope with the immediate trauma as well as to restore the sense of security that the victim loses in the process. The response of the police should take into account the emotional, psychological and physical state of the victim. The training of police officials should mandatorily include:

- (i) Sensitization towards victims as well as the ability to provide them with ‘psychological first aid’ followed by victim support techniques.
- (ii) Equal weightage with respect to physical training and technological know-how.
- (iii) A working legal knowledge base to ensure efficient investigations from the point of view of prosecution.
- (iv) Impart training with respect to state of the art investigation techniques.

The following actions are a matter of right and expectations for the victims that transform into a duty, both legally and professionally, for the police officers to secure and provide:

#### ***First Aid and Ancillary Response:***

- (i) Provide first aid as well as ‘psychological first aid’ to victims.
- (ii) Conduct a ‘needs assessment’ of the victim to determine the immediate, short term and long term needs of the victim, both physically and psychologically.
- (iii) Act with integrity, compassion, respect towards the dignity of the victims and in a manner devoid of personal convictions and prejudices.
- (iv) Do not invoke personal opinions, family values or social values to dissuade the victim from filing the complaint

## VICTIMS OF SEXUAL ASSAULT

In the case of *Delhi Domestic Working Women's Forum v. Union of India and Ors.*, (1995) 1 SCC 14, the Supreme Court India highlighted the following problems faced by victims of sexual assault:

- Victims were humiliated at the hands of police.
- Victims found rape trials to be a 'traumatic experience.'
- The experience of giving evidence in court was found to be negative and destructive.
- The Court proceedings added to and prolonged the psychological trauma of the victim.

To combat the abovementioned problems, the Supreme Court laid down the following guidelines:

- The complainants of sexual assault cases should be provided with legal representation.
- The role of the victim's advocate would not only be to explain to the victim the nature of the proceedings, to prepare her for the case and to assist her in the police station and in Court but to provide her with guidance as to how she might obtain help of a different nature from other agencies.
- Legal assistance will have to be provided at the police station. A list of advocates willing to act in these cases should be kept at the police station for victims.
- The police should be under a duty to inform the victim of her right to representation.
- It is necessary to set up Criminal Injuries Compensation Board.
- Compensation for victims shall be awarded by the Court on conviction of the offender any by the Criminal Injuries Compensation Board whether or not a conviction has taken place.

### ***Registration of FIR:***

- (i) It is mandatory to register an FIR in cases of cognizable offences and hold a preliminary inquiry only with regards to whether a cognizable offence is met out and not with respect to the registration of FIR.
- (ii) Where the preliminary inquiry suggests that no cognizable offence is met out, the victim should be informed in writing, of the reason of such findings, within a week of the complaint.

## **PROCEDURE FOR REGISTRATION OF FIR**

First Information Report (FIR) is the document which has to be necessarily recorded by the police in cases of cognizable offences when the police receive the information in the first instance. Such FIR can be filed either by the victim or any other person who knows about the commission of a cognizable offence. Section 154 lays down the procedure for the filing of the FIR:—

- You may give the FIR in writing.
- Where FIR is given orally to a police officer in charge at the station, the same must be reduced to writing by the concerned officer.
- The information must be read back to you.
- You should sign the FIR only after ensuring that the information therein is true and correct to the best of your knowledge.
- A copy of the FIR must be provided to you free of cost.
- Where the police officer refuses to record any information with respect to provisions pertaining to cognizable sexual offences under the IPC, such police officer is liable to be punished under Section 166A of the IPC.

## **SUPREME COURT AND REGISTRATION OF FIR:**

In *Lalita Kumari v. Govt. of U.P. & ors.* (2008) 7 SCC 164, the Supreme Court issued the following guidelines with respect to the registration of FIR:

- Registration of FIR is mandatory and where the information pertains to the commission of a cognizable offence, no preliminary inquiry is permissible.
- Action must be taken against erring police officers who do not register an FIR where the information received by him discloses a cognizable offence.
- A preliminary inquiry may be made in cases of matrimonial disputes, commercial offences, medical negligence cases, corruption cases and cases where there is an abnormal delay/laches.
- All information relating to cognizable offences whether leading to registration of FIR or preliminary inquiry must be recorded in the General Diary/Station Diary/Daily Diary and the decision to conduct a preliminary inquiry must also be reflected.

- (iii) Immediately provide a copy of the FIR as well as a written acknowledgement of the crime mentioning the basic details of the crime reported to the victim.
- (iv) Ensure that lack of jurisdiction does not become a bar to the registration of an FIR.
- (v) Register a fresh FIR under section 506 of IPC in case the victim receives threats from the accused.

***Questioning and Investigation:***

- (i) Inform the victim of the right to representation prior to questioning.
- (ii) In cases of serious/heinous offences or wherever appropriate, the police should ensure the presence of family members, relatives or friends of the victim while recording the statement of the victim.
- (iii) Assure and ensure the confidentiality of the information provided by victims as well as the anonymity of the victims.
- (iv) Ensure the presence of a female police officer within the premises of the police station at all times.
- (v) Where a female police officer is not available within the premises of the police station, a female police officer on call should be brought in from other jurisdictions.
- (vi) Ensure that only empathetic, sensitized and trained police officers are allowed to question rape victims or child victims.
- (vii) Where the victim is a child, the statement should be taken in the presence of the parents, preferably at the child's residence and in a friendly manner by an investigating officer who is not in uniform.
- (viii) At the investigation stage, all questions put to the victims should be informal and should address the victim as an individual rather than conforming to a dehumanized format.
- (ix) Ensure the continuity of the same officer who questioned the victim in the first instance in all subsequent interviews
- (x) While questioning, all information should be collected using techniques that in no way aggravate the trauma of the victim and should be recorded in a simple language.
- (xi) Ensure a constant supply of requisite equipment for evidence gathering.
- (xii) Investigation should be completed in an expedite manner so as to avoid bail to accused on technicalities.

***Medical Examination:***

- (i) In cases of offences against women, the investigating officer as well as a female police officer should escort the victim for medical examination wherever needed.



## *Duties of Front Line Professionals towards Securing Justice for Victims: A Manual*

---

- (ii) Brief the victim with respect to the nature of medical examination wherever required.
- (iii) Rape crisis cell should be informed as soon as the police officer receives information with respect to the commission of the offence.
- (iv) In cases of serious/heinous offences or wherever appropriate, the medical officer as well as a forensics expert should accompany the investigating officer to the scene of the crime so as to ensure that there are no lapses in the investigation which may lead to a wrongful acquittal.

### ***Legal Aid:***

- (i) A list of willing advocates who are well versed with handling cases of rape, sexual assault or crime against children should be put on display in the police station.
- (ii) Inform the victim of their right to engage a private advocate.
- (iii) Ensure legal assistance to victims of sexual assault as well as the presence of a lawyer at the time of questioning.

### ***Information, Support and Assistance to Victims:***

- (i) Keep the victim up to date with respect to the progress of investigation.
- (ii) Immediately notify the victim upon the arrest or release of the accused on bail or parole.
- (iii) Where the investigation is dropped or closed, the victim must be informed in writing of the reasons as to why such investigation has been closed.
- (iv) The investigating officer should be able to converse in the language of the victim to avoid unnecessary complications and misunderstanding.
- (v) Establish a victim support unit in the police department.
- (vi) Encourage the victims and support them in re-establishing their normal routines to speed up their recovery.
- (vii) Inform the victims of their fundamental, statutory and human rights as a victim of crime.
- (viii) Provide to the victim all details about organizations that provide specialized support as per their needs including contact numbers of the organization and the type of services the victims can expect.
- (ix) Facilitate the victim's access to counselling services wherever required and tie up with psychiatric department of government and private hospitals as well as voluntary organizations within the district to provide such services.

- (x) Provide the victims with the necessary information: contact details of investigating officer, support groups, state victim compensation assistance and toll-free helpline numbers.
- (xi) Ensure that victim receives free immediate first aid and medical benefits or any other interim benefits available to the victim under section 357A(6) of the Code the Criminal Procedure, wherever required.
- (xii) Establish a viable complaint mechanism which can lead to punishment of police officials who do not conform to the standards of victim assistance laid down herein.

## **B. ADVOCATES AND PUBLIC PROSECUTORS**

As officers of the court, advocates and public prosecutors have a distinct and special responsibility towards victims. In their quest for justice, victims invariably have to rely upon the assistance of advocates and public prosecutors. In such a scenario, the role of the advocates is not merely limited to legal representation but extends beyond that, i.e. towards providing victim assistance as well as advocacy. Even as the interpretation of the role of public prosecutor by the Indian judiciary upholds the virtues of fairness, truthfulness, impartiality and propriety, much is left wanting when viewed from perspective of the victim. That being said, an advocate engaged by the victim and/or the public prosecutor should discharge the following duties *vis-à-vis* the rights of the victim:

### ***Legal Aid:***

- (i) Ensure that the victim is aware of their right to engage a private advocate.
- (ii) Make yourself available for immediate response even when called to the scene of the crime to counsel, aid and advice the victims as well as the police.
- (iii) Assist the victim in their dealings with the police by ensuring your presence at the time of questioning
- (iv) Ensure that the interests of the victim are your primary responsibility while maintaining fairness and truthfulness.
- (v) Protect the fundamental, statutory and human rights of the victims.
- (vi) Inform the victims of their fundamental, statutory and human rights, including the right to restoration and compensation.

### ***Extra Legal Assistance to Victims:***

- (i) Provide to the victim all details about organizations that provide specialized support as per their needs including contact numbers of the organization and the type of services the victims can expect.

- (ii) Ensure that the victim is treated with respect, dignity and compassion by all agencies.
- (iii) Ensure the access of victims to medical and psychological treatments that they are entitled to and assist the victims in overcoming the legalities involved for such access.

***Assistance During Trial:***

- (i) Ensure that the privacy of the victim and the confidentiality of the information provided by the victim is maintained.
- (ii) Ensure the non-disclosure of any communication between the victim and yourself.
- (iii) Explain to the victim the nature of court proceedings and brief them about what to expect in the days ahead.
- (iv) Assist the victim in their depositions before the court.
- (v) Ensure that the victim has a support person/companion at the time of their deposition.
- (vi) Assist the victim in writing the Victim Impact Statement to be submitted to the judge and read out in court.
- (vii) Accept the victims' version of the events without opinion, prejudice, bias or personal convictions.
- (viii) Give due consideration to the impact of the crime upon of the victims' mental and physical health.
- (ix) Act fearlessly and with integrity, compassion, respect towards the dignity of the victims and in a manner devoid of personal convictions and prejudices.
- (x) Inform the victim with reasons recorded in writing if the charges against the accused are dropped, substantially altered, proceedings are discontinued or no evidence is offered.
- (xi) All public prosecutors should encourage, ensure and secure the participation of the victim in the court process.
- (xii) All public prosecutors should give due consideration to the thoughts and beliefs of the victims with respect to the course of action to be taken.
- (xiii) Inform the victim of their right to prosecute the accused, seek restoration/compensation as well as the right not to prosecute. Where the victim prefers restorative justice rather than retributive justice, all efforts should be made to secure it.
- (xiv) Keep the victim informed about the proceedings and progress with respect to court processes.

- (xv) Assist the victim with security planning where the accused is released on bail, probation or in case the victim receives threats.
- (xvi) Help minimize the contact between the victim and the accused as well as the counsel of the accused by planning court visits and meetings in advance.
- (xvii) Enable cooperation between the police, victim and witnesses.
- (xviii) Assist the court in the determination of compensation, restitution as well as the sentencing based upon the impact of the crime upon the victim.
- (xix) Keep up to date with legal developments to secure the best interests of the victim.

***Security of the Victim:***

- (i) Identify the physical and psychological barriers to the safety of the victim in order to develop a plan to guarantee such safety.
- (ii) Immediate notification of the victim upon the arrest or release of the accused on bail or parole.

## **C. JUDGES AND JUDICIAL OFFICERS**

In an adversarial system, the judge is an objective and non-partisan decision maker. Much of our legal framework focusses on the rights of the accused which must be upheld by the judicial system. In such a scenario, it is important to keep in mind while upholding the rule of law that the victim themselves should be given every possible assistance in their journey towards attaining closure and subsequent rehabilitation. While the document does not go into the standards of ethics that judges and judicial officers must uphold, it is obvious that the manner in which proceedings are conducted, assessment of the evidence presented and interpretation of law have a deep and profound implication upon the experience of the victim. In this context the control that a judge maintains over the court proceedings becomes vital in ensuring that the experience of the victim is a positive one which aids and complements their rehabilitation and is not inhibitive to it.

- (i) Ensure that all court staff, judges and judicial officers receive periodic training for sensitization to the needs of the victims.
- (ii) Ensure that all proceedings are conducted with due consideration and sensitivity towards the victim and with respect for their dignity.
- (iii) Minimize the security risks of the victim as well as witnesses by conducting risk assessments after obtaining information from the respective parties, police, advocates, prosecutors and relatives with respect to the conduct of the accused prior to and after the incidence of crime.
- (iv) Ensure minimal contact between the accused and the victim during the proceedings.

## **VICTIM IMPACT STATEMENT**

In an adversarial system such as ours, the victim is afforded very limited opportunity to participate in the court proceedings. This can lead to sense of injustice, especially where the victim is treated with an institutionalized disinterest. The principle of proportionality requires for the court to take into account the impact of the crime upon the victim. In the case of *State of M.P. v. Saleem*, (2005) 5 SCC 554, the Supreme Court of India held that the quantum of punishment must be consistent with the rigours, atrocity and brutality that the crime infliction has brought down upon the victim.

For this purpose, a Victim Impact Statement (Annexure II) allows the courts to factor in the extent of the damage which has been caused to the victim as a direct result of the offence. The Delhi High Court, in the matter of *Satya Prakash v. State*, (2013) 3 MWN (Cri) 373, held for the first time that SHO of the concerned police station must deputed to conduct an inquiry and lodge a report termed – ‘Victim Impact Report’ in cases of road accidents. However, in order to guarantee to victims the right to be heard and considered, there is an urgent need to make the concept of Victim Impact Statement applicable to the criminal justice system in general.

- (v) Ensure separate waiting areas and entry points for accused and victims in the court premises as well as the court room.
- (vi) Ensure that the victim does not have to wait for prolonged periods of time prior to giving evidence.
- (vii) Ensure that the questions put to victims by the defence counsel are not inappropriate or aggressive and are presented to you for perusal beforehand.
- (viii) Ensure that the victim has received interim compensation and if not, order for the same to be granted to the victim.
- (ix) Conduct the trial in an expedite manner so as to not cause unnecessary hardship upon the victim in terms of travelling, boarding, lodging and other expenses.
- (x) Ensure the reimbursement of all expenses incurred by the victim in the conduct of court proceedings, including travelling and lodging.
- (xi) Conduct the trial in an expedite manner so as to minimize the psychological hardship caused to the victim in such trials.
- (xii) Ensure that the victim’s rights under the principles of access to justice and fair treatment; restitution; compensation and assistance enumerated in the introduction have been secured.

## COURTS AND COMPENSATION

It is important to look at the evolving perspectives of the judiciary towards the grant of such compensation to victims. As far back as 1981, the Supreme Court in the case of *Maru Ram & ors. v. Union of India and ors.* (1981) 1 SCC 107 observed that while the social responsibility of the criminal to restore the loss or heal the injury is a part of the punitive exercise, the length of the prison term is no reparation to the crippled or bereaved but is futility compounded with cruelty. In 1988, in the matter of *Hari Singh v. Sukhbir Singh & ors.*, (1988) 4 SCC 551, the Supreme Court accepted the failure of the courts to invoke the provisions of compensation under the CrPC while speculating that the courts in India were ignorant of the purpose of such provisions.

In several latter decisions, the Supreme Court held that the power to grant compensation under Section 357 of the CrPC was not ancillary to other sentences but in addition thereof. [read: *Balraj v. State of U.P.*, (1994) 4 SCC 29, *Dillip S. Dhanukar v. Kotak Mahindra Co. Ltd. & Anr.*, (2006) 6 SCC 528]. In the matter of *Ankush Shivaji Gaikwad v. State of Maharashtra*, (2013) 6 SCC 770, the Supreme Court held that firstly, Section 357 was introduced to reassure the victims that they are not forgotten in the criminal justice system and secondly, that while the provision leaves the question of award of compensation to the discretion of the court, it also confers a power coupled with a duty on the courts to apply their minds to the question of awarding compensation in every criminal case. The provisions for compensation under the CrPC, 1973 have been annexed at the end the document (Annexure I).

- (xiii) Ensure the presence of an interpreter/translator, free of charge to the victim, wherever required, to enable their active participation in furtherance of their right of access to justice.
- (xiv) Ensure that a Victim Impact Statement is collected from the victim or the prosecution and wherever appropriate, allow the same to be read in court in the presence of the accused.
- (xv) While the rights under the principles of restitution and compensation may hinge upon the outcome of the case, the rights under the principles of access to justice and fair treatment as well as the right to assistance must be secured at all stages of the trial.
- (xvi) When deciding the quantum of sentence or while hearing bail pleas, the impact of the crime upon the victim should also be taken into account.

- (xvii) Order for any special measures, specialized services and legal protection required by the victim especially those who are exposed to a higher risk of secondary and repetitive victimization. Depending on the nature of risk, such services should include the provision of shelter, medical treatment, psychological counselling, legal advice as well as police protection. For this purpose, the victims who are exposed to higher risk include, but are not limited to, victims of hate crimes, human trafficking, sexual violence, domestic violence, children and persons with disabilities.
- (xviii) Order for the timely return of recoverable property of the victim seized for the purpose of investigation unless exceptional circumstances call for the opposite.
- (xix) Ensure that the privacy of the victim and the confidentiality of any information which may put the victim at risk is maintained.
- (xx) Ensure that the procedure and guidelines created by the legislature and higher judiciary are implemented in letter and spirit, with due application of mind.

## **D. HEALTH CARE PROFESSIONALS**

Medical and health care providers bear a fiduciary relationship towards all their patients. The nature of their profession places them in a unique position to assist the victims not only in terms of medical treatment but also in helping to foster a sense of security in them and catalysing the process of rehabilitation. Furthermore, heavy reliance is often placed upon the medical report issued by the doctors which can greatly swing the outcome of the case. Without compromising upon the efficacy of the medical treatment provided by them to the victim, health care professionals can help secure justice through the following:

### ***Medical Assistance and Treatment:***

- (i) Act with integrity, compassion, respect towards the dignity of the victims and in a manner devoid of personal convictions and prejudices.
- (ii) Act with special care where the victims have special needs such as where the victims are women, children, persons with disabilities, victims of sexual assault and victims of human trafficking.
- (iii) Ensure that the best interests of the victim is your prime consideration, not only in terms of primary medical treatment, but also in terms of the psycho-social impact of the crime upon the victim as well as the long term medical and psychological needs of the victim.
- (iv) In pursuance of the above, you should not only perform primary medical treatments but also primary counselling. You should refer and guide the patient to specialized service providers for the long term medical and psychological after effects of the crime, wherever required.

- (v) You are legally required to examine and treat the victim for injuries and the same is your primary responsibility, the legal formalities are secondary to the above.
- (vi) Ensure that the informed consent of the victim or the guardian has been taken before performing invasive medical procedures, except under exceptional circumstances such as that in emergencies.
- (vii) It is pertinent to record a brief history of the case as well as to record the details of injuries one by one including their position, approximate measurement and the type of injury.
- (viii) It is important to record the diagnosis of the cases as well as the immediate prognosis.
- (ix) The recorded history of the case should be corroborative of the medical report and inconsistencies, if any, should be pointed out.

***Dying Declaration:***

- (i) While recording a dying declaration, you should ensure that the victim is in a reasonable state of mind.
- (ii) Record the dying declaration in a question and answer format using simple, easy to understand language.
- (iii) Record the dying declaration verbatim; in presence of two witnesses and ensure the signatures of the victim as well as the witnesses.

***Medical Examination:***

- (i) It is mandatory to take the informed consent of the victim, or wherever required, the informed consent of the guardian, prior to conducting medico-legal examinations.
- (ii) Ensure the presence of a female attendant where the victim is a female at the time of examination.
- (iii) Where the victim is a female, the medico-legal examination should only be conducted by a female doctor.
- (iv) In cases of serious/heinous offences or wherever appropriate, the medical officer should accompany the police officer to the scene of the crime to collect the biological evidence necessary for a comprehensive medical report.
- (v) Ensure that the recordings in the medico legal report are not merely cursory but detail all findings and results with respect to injuries, forensic analysis and laboratory tests.
- (vi) Ensure that you are up to date with respect to the latest developments in the field of law and science and technology while collecting specimens for medico legal analysis and recording the findings.



- (vii) The two finger test and state of the hymen are no longer considered as valid tests for the purpose of determining sexual assault and as such should not be used or recorded in the medico legal report since the findings are usually used in court to either discredit the victim or humiliate her.
- (viii) The absence of injuries in cases of sexual offences, are also no longer considered as valid proof of presence of consent and therefore should not be allowed to colour your opinion in the medico legal report.
- (ix) Remember that in cases of medico-legal examination you are a representative of the state. However, the same doesn't mean that you cease to be a doctor to the examinee. You still have all duties and responsibilities towards the examinee as you would towards any other patient.
- (x) The hospital/laboratory should ensure that the medical officer examining the victim should receive a copy of the results of evidences collected by the medical officer during examination, so as to allow him to form or substantiate his opinion.

***Other Duties and Responsibilities:***

- (i) Screening of all vulnerable patients such as women and children for signs for domestic abuse and violence.
- (ii) Informing the police when signs of domestic violence and abuse are apparent and wherever you deem that involving the law enforcement agencies is in the best interest of the victim.
- (iii) Hospitals and other health care institutions should ensure that their staff receive quality and periodic training for sensitization towards the needs of the victim as well as updates regarding governmental, judicial and other guidelines on the subject.

## **E. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS**

NGO's perform several roles within a criminal justice system by providing services to those directly affected by an offence, namely, victims, witnesses as well as accused. Services provided by the NGO's are inclusive of but not limited to counselling, mediation, supervision, raising awareness, legal education and assistance, accommodation and rehabilitation. With such a diverse range of services, NGO's can step in where the State fails to deliver. Thus, depending upon the specialized services provided by the NGO, the document recognizes the following duties of NGO's towards victims:

***General Duties:***

- (i) Act with integrity, compassion, respect towards the dignity of the victims and in a manner devoid of personal convictions and prejudices.
- (ii) Converse with the victim using simple and easy to understand language so as to ensure that the victim understands you comprehensively and *vice versa*.

- (iii) Where the victim doesn't understand the local language or in cases of persons with disability, a translator must be provided to the victim free of charge.

***Access to Medical and Legal Aid:***

- (i) Aid, advice and assist the victim for receiving the requisite medical treatments, psychological counselling and protection, both in the short term and the long term.
- (ii) Make immediate arrangements for emergency referrals or provide direct assistance with respect to medical care, shelter, food and counselling.
- (iii) Report the crime on behalf of the victim where the victim approaches you for help and assist them through the entire process.
- (iv) Ensure that the victim receives a written acknowledgement upon the reporting of the crime.
- (v) Provide for adequate legal representation, wherever required.
- (vi) Inform the victims about their fundamental, statutory and human rights as victims of crime.
- (vii) Inform the victims about their right to compensation and restitution.
- (viii) Assist the victim in obtaining the reimbursements for the expenses incurred by them during trials.
- (ix) Assist the victims through their dealings with police officers and law enforcement, while ensuring that their dignity and basic rights are protected and respected.
- (x) Inform the victims about the nature and process of court proceedings.
- (xi) Where the court proceedings are conducted in a language not understood by the victim, translations of the court proceedings should be made available to the victim free of charge.
- (xii) Assist the victim with private insurance claims and ensure continuity in the victim's employment and accommodation.
- (xiii) Ensure the victim's protection by filing for protection orders wherever required.

***Registration:***

- (i) Ensure that your organization is registered under the Societies Registration Act, 1860 or the Companies Act, 2013.
- (ii) Ensure that your organization is registered with the respective state governments under Special and Local Laws, wherever required. For example, Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

## **F. MEDIA**

Often touted as the fifth pillar of democracy, the media plays an important role in shaping not only the way the society perceives a crime, but also the way the society treats its victims. Needless to say, the experience of the victim is dependent quite significantly upon the ethics and virtues that journalists and media houses uphold. While the media has a responsibility to publish a fair and impartial account, the following are the primary duties that journalists have towards victims:

- (i) Act with compassion and respect towards the dignity of the victims in a manner devoid of personal convictions and prejudices.
- (ii) Avoid publication of any information such as photograph, name or address which may lead to identification of the victim
- (iii) Do not photograph and interview the victims at inappropriate times.
- (iv) Do not photograph or interview child victims as well as victims of sexual offences.
- (v) Approach the victim only through their advocate for any requests regarding interviews.
- (vi) Submit a list of questions to be asked to the victim along with the request for the interview.
- (vii) Do not pester the victims with repeated requests for interviews wherever the request is denied by the victim in the first instance.
- (viii) Respect the right to privacy of the victims and their relatives.
- (ix) Treat the victim with compassion and with respect for their dignity while interviewing them.
- (x) Do not ask inappropriate, unprofessional, indecent or aggressive questions.
- (xi) Accept written statements by the victims in place of the interviews where the victim doesn't feel comfortable with the same.
- (xii) Avoid victim shaming or blaming the victim for the crime against them.
- (xiii) Do not discredit the claim of the victim until the same is proven in a court of law.
- (xiv) Avoid publication of unnecessary details unrelated to the case which may discredit the victim.
- (xv) Avoid the glorification of the crime or the accused.
- (xvi) Propagate and disburse in all forms and languages, the knowledge of rights available to the victims as well the duties of front line professionals laid herein.

## **F. EMPLOYERS**

In addition to the responsibility of preventing any mishaps in the workplace, the employers also have the duty to support the victim during their process of recovery. In doing so, the employers of the victim, both present and prospective, can play a vital role in the process of rehabilitation of the victim as they recover from the effects of the crime against them. This can be achieved by the employers in the following ways:

- (i) Act with compassion and respect towards the dignity of the victims in a manner devoid of personal convictions and prejudices.
- (ii) Ensure that all employees act with compassion and respect towards the dignity of the victims in a manner devoid of personal convictions and prejudices.
- (iii) Conduct periodic sensitization training for all employees on the needs and requirements of the victim of crimes.
- (iv) Understand that the victim's ability to perform at work may be compromised due to psychological trauma, medical treatments or frequent court hearings.
- (v) Understand that in order to rehabilitate themselves, the victims require to maintain the level of economic freedom so provided to them by their jobs and that such job security can catalyse their recovery.
- (vi) Ensure that no disciplinary action is taken against the victim or their employment terminated on account of reduced working capability for a reasonable period of time that is required for the victim's rehabilitation.
- (vii) Ensure that the victim is not harassed, discriminated against or discredited at work in any manner.
- (viii) Do not discriminate against victims of crime when hiring employees.
- (ix) Modify or change the work schedule of the victim in accordance with the needs of the victim so as to ensure productiveness.
- (x) Provide accommodation to the victim free of charge or at reasonable costs wherever required.
- (xi) Create a comprehensive policy governing the benefits, security and employee assistance programs to be extended to employees who are victims of crimes, taking into account all of the abovementioned points.

## **EMPLOYERS AND VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE**

An employer should lookout for the following indicators of domestic violence in their employees and their behaviour:

- Injuries such as bruises, black eyes, broken bones, hearing loss etc. which are disproportionate to the reason accorded to them by the victim such as – tripping, falling, clumsiness or even ‘accidents.’
- Attempts to trivialize or denial of such injuries.
- Wearing clothing that may cover up injuries when such clothing is inappropriate for the season.
- Lack of money despite regular payment.
- Decrease in job performance and inconsistent work quality.
- Regular absenteeism and unpunctual reporting for work.
- Disinclination to leave the workplace.
- Emotional distress or depression.
- Isolation from other employees.
- Sensitivity about discussion on domestic life and avoidance of the issue.
- Excessive meekness with low self-esteem and apologetic behaviour.
- Unconsciously drops hints about the temper of the abuser or the nature of abuse.

In such situations, the employers should ensure that the safety – mental, physical and economic is guaranteed for the victims. For this purpose, they should:

- Call the inform the police when and if the abuser makes disruptive work place visits and exhibits aggressive behaviour.
- Understand that the victim is under a lot of stress which may affect their work performance and re-assure them about their job security for the period of their rehabilitation.
- Don’t judge or blame the victim for the behaviour of the abuser.
- Assist the victim in accessing the organizations’ victim assistance programme.

### **III. REFERENCES AND SUGGESTED READINGS**

#### **International Treatises:**

- Universal Declaration of Human Rights, 1948
- International Covenant on Civil and Political Rights, 1966
- UNGA Declaration of Basic Principles for Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985.
- Rome Statute of International Criminal Court, 1998
- Handbook on Justice for Victims: On the Use and Application of Declaration of Basic Principles for Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Centre for International Crime Prevention, UNODCCP, 1999
- Draft UN Convention on Justice and Support for Victims of Crime and Abuse of Power, 2010
- Directive 2012/29/EU of the European Parliament establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime.
- Code of Practice of Victims of Crime, Ministry of Justice, United Kingdom, 2015

#### **National Statutes:**

- Indian Penal Code, 1860
- Indian Evidence Act, 1872
- Constitution of India, 1950
- Probation of Offenders Act, 1958
- Code of Criminal Procedure, 1973
- Criminal Law Amendment Act, 1983
- Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
- Criminal Law Amendment Act, 1993
- Information Technology Act, 2000
- Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

- Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012
- Criminal Law Amendment Act, 2013
- Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
- Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

**Reports:**

- Dr. Justice V. S. Malimath (2013), Committee on Reforms of Criminal Justice System
- Justice J.S. Verma (2013), “Report of the Committee on Amendments to Criminal Law”
- Law Commission of India, 84th Report on Rape and Allied Offences – Some Questions of Substantive Law, Procedure and Evidence
- Law Commission of India, 172<sup>nd</sup> Report on Review of Rape Laws

**Cases:**

- *Adhri Dharan Dar v. State of W.B.*, (2005) 4 SCC 303
- *Ankush Shivaji Gaikwad v. State of Maharashtra*, (2013) 6 SCC 770
- *Balraj v. State of U.P.*, (1994) 4 SCC 29
- *Bhaskaran v. Sankaran Vaidhyan Balan*, AIR 1999 SC 3762
- *Bhagwan & anr. v. State of Haryana*, 1986 Cri LJ 1860 (P&H HC)
- *Bhim Singh v. State of J&K*, AIR 1986 SC 498
- *Bodhisattva Gautam v. Subhra Chakraborty*, AIR 1996 SC 922
- *CBI v. Hopeson Ningshen*, (2010) 5 SCC 115
- *Chairman, Railway Board v. Chandrima Das*, AIR 2000 SC 988
- *D.K. Basu v. State of W.B.*, (1997) 1 SCC 416
- *Delhi Domestic Working Women’s Forum v. Union of India*, (1995) 1 SCC 14
- *Dilip S. Dahanukar v. Kotak Mahindra Co. Ltd.*, (2007) 6 SCC 528
- *Dr. Jacob George v. State of Kerala*, (1994) 3 SCC 430
- *Ghanshyam v. State of M.P.*, (2006) 10 SCC 473
- *Guruswamy v. State of Tamil Nadu*, AIR 1979 SC 1177
- *Hari Singh v. Sukhbir Singh*, (1988) 4 SCC 551
- *Inder Singh v. State of Punjab*, (1995) 3 SCC 702
- *Jakia Nasim Ahesan v. State of Gujarat*, (2011) 12 SCC 302
- *K. A. Abbas v. Sabu Joseph*, (2010) 6 SCC 230

### References and Suggested Readings

---

- *Kasturilal Ralia Ram Jain v. State of U.P.*, AIR 1965 SC 1039
- *Kumari (Smt) v. State of Tamil Nadu*, AIR 1992 SC 2096
- *Lalita Kumari v. Govt. of U.P. and ors.*, (2008) 8 SCC 225
- *Lillu @ Rajesh & Anr. v. State of Haryana*, (2013) 14 SCC 643
- *Mangilal v. State of Madhya Pradesh*, AIR 2004 SC 1280
- *Manish Jalan v. State of Karnataka*, (2008) 8 SCC 225
- *Mehmood Nayyar Azam v. State of Chhattisgarh*, AIR 2012 SC 2573
- *Moinuddin Munshi v. Mohammad Siraj & Ors.*, (2008) 8 SCC 434
- *Nar Singh v. State of Haryana*, (2014) SCC online SC 892
- *Naryanamma (Kum) v. State of Karnataka*, (1994) 5 SCC 728
- *Nilabati Behera v. State of Orissa*, AIR 1993 SC 1960
- *Palaniappa Gounder v. State of Tamil Nadu*, AIR 1977 SC 1323
- *P. Rathinam v. State of Gujarat*, 1994 SCC (Cri) 1163
- *R. D. Upadhyay v. State of A.P.*, (2001) 1 SCC 437
- *R. Mohan v. A. K. Vijaya Kumar*, (2012) 8 SCC 721
- *R. S. Mishra v. State of Orissa*, (2011) 2 SCC 689
- *Racchpal Singh v. State of Punjab*, 2002 Cri. LJ 3540 SC
- *Rattan Singh v. State of Punjab*, AIR 1990 SC 84
- *Roy Fernandes v. State of Goa*, AIR 2012 SC 1030
- *Rudal Shah v. State of Bihar*, (1983) 4 SCC 141
- *SAHELI through Nalini Bahot v. Commr. Of Police, Delhi Police HQ & ors*, AIR 1990 SC 513
- *Salil Bali v. Union of India*, AIR 2013 SC 3743
- *Sakshi v. Union of India*, AIR 2004 SC 3566
- *Sarwan Singh & ors. v. State of Punjab*, (1978) 4 SCC 111
- *Shailesh Jasvantbhai v. State of Gujarat*, (2006) 2 SCC 359
- *Shiv Kumar v. Hukum Chand*, (1999) 7 SCC 467
- *Shyam Narain v. State (NCT of Delhi)*, (2013) 7 SCC 77
- *State of Haryana v. Bhajan Lal*, 1992 Supp. (1) SCC 335
- *State of Maharashtra v. Christian Community Welfare Council of India*, (AIR 2004 SC 7)
- *State of M.P. v. Babu Barkare*, (2005) 5 SCC 413
- *State of M.P. v. Saleem*, (2005) 5 SCC 554
- *State of M.P. v. Shyam Sundar Trivedi & ors.*, (1995) 4 SCC 262



*Duties of Front Line Professionals towards Securing Justice for Victims: A Manual*

---

- *State v. Sanjeev Nanda*, (2012) 8 SCC 450
- *State of Punjab v. Ajaib Singh*, (1995) 2 SCC 486
- *State of U.P. v. Munshi*, (2008) 9 SCC 390
- *Suganthi Suresh Kumar v Jagdeeshan*, (2002) 2 SCC 420
- *Sushil Murmu v. State of Jharkhand*, (2004) 2 SCC 338
- *Swarn Singh v. State of Punjab*, AIR 2000 SC 2017
- *Zahira Habibullah H. Sheikh v. State of Gujarat*, (2004) 4 SCC 158

## IV. ANNEXURES

### A. RIGHTS OF VICTIMS UNDER THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

**Section 357: Order to pay compensation.**—(1) When a Court imposes a sentence of fine or a sentence (including a sentence of death) of which fine forms a part, the Court may, when passing judgment, order the whole or any part of the fine recovered to be applied—

- (a) in defraying the expenses properly incurred in the prosecution;
- (b) in the payment to any person of compensation for any loss or injury caused by the offence, when compensation is, in the opinion of the Court, recoverable by such person in a Civil Court;
- (c) when any person is convicted of any offence for having caused the death of another person or of having abetted the commission of such an offence, in paying compensation to the persons who are, under the Fatal Accidents Act, 1855 (13 of 1855), entitled to recover damages from the person sentenced for the loss resulting to them from such death;
- (d) when any person is convicted of any offence which includes theft, criminal misappropriation, criminal breach of trust, or cheating, or of having dishonestly received or retained, or of having voluntarily assisted in disposing of, stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen, in compensating any bona fide purchaser of such property for the loss of the same if such property is restored to the possession of the person entitled thereto.

(2) If the fine is imposed in a case which is subject to appeal, no such payment shall be made before the period allowed for presenting the appeal has elapsed, or, if an appeal be presented, before the decision of the appeal.

(3) When a Court imposes a sentence, of which fine does not form a part, the Court may, when passing judgment, order the accused person to pay, by way of compensation, such amount as may be specified in the order to the person who has suffered any loss or injury by reason of the act for which the accused person has been so sentenced.

(4) An order under this section may also be made by an Appellate Court or by the High Court or Court of Session when exercising its powers of revision.

(5) At the time of awarding compensation in any subsequent civil suit relating to the same matter, the Court shall take into account any sum paid or recovered as compensation under this section.

**Section 357 A: Victim compensation scheme.**—(1) Every State Government in co-ordination with the Central Government shall prepare a scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation.

(2) Whenever a recommendation is made by the Court for compensation, the District Legal Service Authority or the State Legal Service Authority, as the case may be, shall decide the quantum of compensation to be awarded under the scheme referred to in sub-section (1).

(3) If the trial Court, at the conclusion of the trial, is satisfied, that the compensation awarded under section 357 is not adequate for such rehabilitation, or where the cases end in acquittal or discharge and the victim has to be rehabilitated, it may make recommendation for compensation.

(4) Where the offender is not traced or identified, but the victim is identified, and where no trial takes place, the victim or his dependents may make an application to the State or the District Legal Services Authority for award of compensation.

(5) On receipt of such recommendations or on the application under sub-section (4), the State or the District Legal Services Authority shall, after due enquiry award adequate compensation by completing the enquiry within two months.

(6) The State or the District Legal Services Authority, as the case may be, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first-aid facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the rank of the officer in charge of the police station or a Magistrate of the area concerned, or any other interim relief as the appropriate authority deems fit.

**Section 357 C: Treatment of Victims.**—All hospitals, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies or any other person, shall immediately, provide the first-aid or medical treatment, free of cost, to the victims of any offence covered under section 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D or section 376E of the Indian Penal Code, and shall immediately inform the police of such incident.

**Section 358: Compensation to persons groundlessly arrested.**—(1) Whenever any person causes a police officer to arrest another person, if it appears to the Magistrate by whom the case is heard that there was no sufficient ground for causing such arrest, the Magistrate may award such compensation, not exceeding one thousand rupees, to be paid by the person so causing the arrest to the person so arrested, for his loss of time and expenses in the matter, as the Magistrate thinks fit.

(2) In such cases, if more persons than one are arrested, the Magistrate may, in like manner, award to each of them such compensation, not exceeding one thousand rupees, as such Magistrate thinks fit.

(3) All compensation awarded under this section may be recovered as if it were a fine, and, if it cannot be so recovered, the person by whom it is payable shall be sentenced to simple imprisonment for such term not exceeding thirty days as the Magistrate directs, unless such sum is sooner paid.

**Section 359: Order to pay costs in non-cognizable cases.**—(1) Whenever any complaint of a non-cognizable offence is made to a Court, the Court, if it convicts the accused, may, in addition to the penalty imposed upon him, order him to pay to the complainant, in whole or in part, the cost incurred by him in the prosecution, and may further order that in default of payment, the accused shall suffer simple imprisonment for a period not exceeding thirty days and such costs may include any expenses incurred in respect of process-fees, witnesses and pleader's fees which the Court may consider reasonable.

(2) An order under this section may also be made by an Appellate Court or by the High Court or Court of Session when exercising its powers of revision.

**B. SUGGESTED FORMAT FOR VICTIM IMPACT STATEMENT**

**Name of the Primary Victim:**

**Name of the Accused:**

**Name of the Person Making the Statement (if different from the primary victim):**

**Relationship of the Person with the Victim (if different from the primary victim):**

**Criminal Charges:**

**Court:**

**Date in Court:**

**The following space may be utilized to brief the facts of the case in a manner non prejudicial to the rights of the accused:**

---

---

---

---

*Annexures—Suggested Format for Victim Impact Statement*

**Non physical Trauma suffered as an impact of the crime (e.g. psychological/emotional/financial shock/stress/fear/grief/distress/embarrassment etc.):**

[illegible]

*Annexures—Suggested Format for Victim Impact Statement*

---

**Other Relevant Information:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**You can ask for your impact statement to be read in court, or you can request for someone to be allowed to read the impact statement on your behalf:**

Would you like your victim impact statement to be read in court:

Yes ☐ No ☐

If yes, do you want to attend court and read the statement yourself:

Yes ☐ No ☐

**If you do not wish to read the statement aloud, it will be handed to the court.**

I consent to the tender of this statement in court proceedings:

☐

**To the best of my knowledge, this statement is true:**

Signature:

Date:

**Where the maker of this statement is not the primary victim, wherever possible, the consent of the primary victim is required:**

I, the primary victim, do not object to the abovementioned person making this impact statement:

Signature:

Date:





## विषय—सूची

1. परिचय	41
परिचय	41
पीड़ित और आपराधिक न्याय प्रणाली	41
पीड़ित और उनके अधिकार	42
1. न्याय और उचित व्यवहार का सिद्धांत	43
2. क्षतिपूर्ति का सिद्धांत	45
3. मुआवजे का सिद्धांत	45
4. सहायता का सिद्धांत	45
दस्तावेज के उद्देश्य एवं समीक्षा	46
2. मुख्य पदों पर कार्यरत व्यवसायी— कर्तव्य और जिम्मेदारियां	48
(1) पुलिस/कानून लागू करने वाली एजेंसियां	48
(2) वकील और सरकारी वकील	52
(3) न्यायधीश और न्यायिक अधिकारी	54
(4) स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी	57
(5) गैर—सरकारी संगठन	59
(6) मीडिया	60
(7) नियोक्ता	61
3. संदर्भ एवं अनुशंसित पठन	64
अंतर्राष्ट्रीय संधियां:	64
राष्ट्रीय कानून:	64
रिपोर्ट:	65
मामले	65
4. सलग्नक	68
(1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्ग पीड़ित के अधिकार	68
(2) पीड़ित प्रभाव विवरण के लिए अनुशंसित प्रारूप	71



# 1. परिचय

## परिचय

2016 में भारतीय दण्ड संहिता और विशेष व स्थानीय कानूनों के अंतर्गत कुल 48,31,515 मामले दर्ज हुए जो कि प्रति एक लाख जनसंख्या पर लगभग 380 मामले हैं। ये अपराध बिना पीड़ितों के नहीं हो सकते थे। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इनमें से प्रत्येक अपराध में एक पीड़ित था जिसने राज्य और इसके संस्थानों से न्याय की गुहार लगाई। ऐसा होने पर भी यह एक तथ्य है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी 'भारत में अपराध – 2016 के आंकड़े' के बीस अध्यायों में से एक भी अध्याय ऐसा नहीं था जो पीड़ितों और उन्हें प्रदान की गई सहायता को समर्पित हो। इससे अपराधों पर ध्यान देने में राज्य के संकीर्ण दृष्टिकोण का पता चलता है। यह पीड़ितों की दूरदर्शा को पहचानने और उन्हें दर्ज करने में असफल है जबकि उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की तो बात ही छोड़िए।

## पीड़ित और आपराधिक न्याय प्रणाली

एक अपराध समाज के प्रति एक अपराध होता है। यह धारणा अनजाने में हमारी न्यायिक प्रणाली में एक बहुत बड़ा दोष पैदा करती है – यह कि वहशी प्रक्रिया के बीच कहीं न कहीं पीड़ित किसी भी अन्य सबूत के साथ आता है। राज्य न्याय की सड़क पर मजबूती से ड्राइवर की सीट पर बैठा होता है, और पीड़ित की कहीं कोई बात नहीं सुनता या उसे तुरंत कोई न्याय नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में राज्य अपनी संस्थाओं के माध्यम से पीड़ित को केवल दण्ड देने वाला न्याय प्रदान करता है और क्षतिपूर्ति, सामाजिक और सशक्त बनाने वाले पक्षों को पूरी तरह अनदेखा करता है। हॉब्स के शब्दों में लेविथन (भीमकाय प्रक्रिया) पीड़ित को दो बार नाकाम बनाती है: पहली बार उनके जीवन, आजादी और सम्पत्ति को दूसरों से सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहने पर, और दूसरी बार पीड़ित को पूरी तरह उसकी सही अवस्था में वापिस लाने में असफल हो कर।

यह एक सामान्य लेकिन संक्षिप्त अवलोकन है कि न्याय की देवी की मूर्ति के एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ में तलवार है। इसका अर्थ है कि न्याय को तोला जाएगा और तलवार उन पर चलाई जाएगी जिन्होंने गलत किया है। इस प्रकार के पारम्परिक प्रतीक भूतकाल में राजनैतिक समाजों के लिए सत्य रहे होंगे, लेकिन न्याय के उपागम पर आधारित बीसवीं सदी के अधिकारों की गहन जांच पर खरे नहीं उतर सकते। हमारे समय की न्याय की देवी को कुछ और हाथों और उपकरणों की जरूरत है ताकि वह अपना कर्तव्य सही प्रकार से निभा सके। इस दस्तावेज को पढ़ने के दौरान हम देखेंगे कि ये अधिकार सभी के लिए कानूनी, नैतिक और व्यवसायिक कर्तव्य बन जाएंगे और इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति निसंदेह न्याय की देवी का एक हिस्सा बन जाएगा।

## पीड़ित और उनके अधिकार

पीड़ित शब्द को परिभाषित करते समय अपराध और शक्ति के गलत प्रयोग<sup>1</sup> के पीड़ितों के लिए न्याय के आधारभूत सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के लेखकों ने जानबूझ कर इसे एक व्यापक आयाम दिया ताकि अधिकतम चीजों को शामिल किया जा सके। इस शब्द के व्यापक अर्थ के दो परिणाम हैं। पहला यह है कि मुकदमों के स्तर-गिरफ्तारी, पैरवी या अपराधी का दोष साबित होना या एक अपराधी का पीड़ित के साथ संबंध, को अनदेखा करते हुए, पीड़ित को पीड़ित ही समझा जाता है, और दूसरा यह है कि उचित परिस्थितियों में यह सभी लोगों को पीड़ित समझता है, जिनमें पीड़ित का परिवार भी शामिल है, जिसे पीड़ित की सहायता करने की प्रक्रिया में या पीड़ा को रोकने की प्रक्रिया में हानि उठानी पड़ती है। उक्त कारणों और इस दस्तावेज के उद्देश्य से हम ने इस घोषणा की निम्न परिभाषा को शब्दशः लिया है:

*“पीड़ित” का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से क्षति को सहा है, जिसमें शारीरिक या मानसिक चोट, भावात्मक पीड़ा, आर्थिक हानि या उनके मौलिक अधिकारों का छिन जाना शामिल है और जिसका कारण ऐसे कार्य रहे हैं जिन्हें सदस्य देशों में आपराधिक कानूनों का उलंघन माना जाता है, जिनमें शक्ति के आपराधिक प्रयोग को रोकने वाले कानून भी शामिल हैं।*

पूरी दुनिया में न्यायिक प्रणाली को संचालित करने वाली नीतियों को प्रभावित करने के लिए आपराधिक न्यायिक प्रणाली में पीड़ित की स्थिति पर चर्चा अब काफी हो चुकी है। अपराध के पीड़ितों के अधिकारों, सहायता और सुरक्षा पर न्यूनतम मानदण्डों को स्थापित करते हुए यूरोपीय संसद के निर्देश 2012/29/ईयू<sup>2</sup> सतर्कतापूर्वक निम्न शब्दों के माध्यम से सारांश प्रस्तुत करते हैं:

*“...अपराध के पीड़ितों की पहचान करनी चाहिए और उनके साथ सम्मानजनक, संवेदनशीलतापूर्वक और व्यवसायिक ढंग से बिना भेदभाव के व्यवहार करना चाहिए जैसे वंश, रंग, नस्ल या सामाजिक मूल, अनुवांशिक विशेषताओं, भाषा, धर्म या विश्वास, राजनैतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सदस्यता, सम्पत्ति, जन्म, विकलांगता, आयु, लिंग, लैंगिक अभिव्यक्ति, लैंगिक पहचान, लैंगिक उन्नमुखता, रिहायसी स्थिति या स्वास्थ्य के आधार पर भेदभाव। आपराधिक मुकदमों की प्रक्रिया के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार के साथ सभी सम्पर्कों, और पीड़ित के साथ सम्पर्क में आने वाली किसी भी सेवा के सम्पर्कों में, जैसे पीड़ित की सहायता या क्षतिपूर्ति न्यायिक सेवाएं आदि के साथ सम्पर्क के दौरान व्यक्तिगत स्थिति और अनिवार्य आवश्यकताओं, आयु, लिंग, संभावित विकलांगता और अपराध के पीड़ित की परिपक्वता को ध्यान में रखा जाना चाहिए और साथ ही उनकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक अखण्डता का सम्मान करना चाहिए। अपराध के पीड़ितों को दूसरी बार पीड़ित होने से, धमकी और प्रतिशोध से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनकी रिकवरी के लिए उचित सहायता प्राप्त होनी चाहिए और न्याय प्रदान करना चाहिए।”*

1. इसे यहां पर यूएस घोषणापत्र भी कहा गया है।

2. इसे यहां पर ईयू निर्देश भी कहा गया है।

## पीड़ित कौन होता है?

भारतीय कानून के अंतर्गत पीड़ित शब्द को आपराधिक दण्ड संहिता, 1973 की धारा 2 (डबल्यूए) में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसको किसी कार्य या चूक के कारण नुकसान हुआ है या वह घायल हुआ है जिसके लिए आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और पीड़ित शब्द में उस पुरुष या महिला के संरक्षक या कानूनी वारिस भी शामिल होते हैं। लेकिन इस परिभाषा में स्पष्ट कमियाँ हैं। सबसे पहले तो यह है कि नुकसान या चोट को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और यह न्यायिक व्याख्या पर निर्भर है। दूसरा, “अरोपी व्यक्ति का कार्य या चूक” वाक्य से अलग तरह के पूर्वाग्रह का पता चलता है जिसमें दूसरे दर्जे के उत्पीड़न को ध्यान में नहीं रखा जाता जो उस समय होता है जब पीड़ितों को क्षतिपूर्क, विभाजित करने वाला, सामाजिक और सशक्त बनाने वाले अर्थ में न्याय उपलब्ध नहीं होता। अंत में यह परिभाषा उन सभी लोगों को अधिकार प्रदान नहीं कर पाती जिनको सहायता की प्रक्रिया में या अपराध को रोकते समय नुकसान होता है।

भारतीय परिभाषा की तुलना में यूरोपीय संघ का निर्देश 2012/29/ईयू एक पीड़ित को एक ऐसे प्राकृतिक मनुष्य के रूप में परिभाषित करता है जिसको नुकसान हुआ है जिसमें शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान जो सीधे रूप से जुर्म के कारण हुआ शामिल है और जो मृत्यु के परिणामस्वरूप हुआ है वह भी शामिल है। परिवार की परिभाषा में जीवनसाथी अर्थात् वह व्यक्ति जिसके साथ पीड़ित के गहन संबंध रखने के लिए प्रतिबद्ध था, परिवार के सदस्य, भाई-बहन और आश्रित शामिल हैं। अपराध के पीड़ित के लिए यूके की नियमावली के अंतर्गत पीड़ित की परिभाषा यूरोपीय संघ की परिभाषा के समान है।

कनाडा के पीड़ितों के अधिकारों का बिल पीड़ित को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसे शारीरिक या भावनात्मक हानि हुई है, जिसकी सम्पत्ति का या आर्थिक नुकसान अपराध के कारण हुआ है। जहाँ एक पीड़ित मर जाता है या अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम नहीं रहता, तो ऐसे में यह अधिनियम जीवनसाथी, जो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो विवाह करके पीड़ित के साथ रहता है, एक रिश्तेदार या आश्रित और कानूनी रूप से संरक्षक को पीड़ित की तरफ से कार्य करने और अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देता है।

दशकों की बहस और चर्चा के बाद सभी संबंधित विषयों के विशेषज्ञों और अभ्यासकर्ताओं ने कुछ सिद्धांतों पर ध्यान दिया जो पीड़ितों को गारंटी देते हैं जो एक वास्तव में न्यायप्रिय आपराधिक न्यायिक प्रणाली के लिए अपरिहार्य हैं जो अपराधी के अधिकारों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। इन सिद्धांतों को 1985 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता दी गई जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की घोषणा को अपनाया गया। इस घोषणा ने चार ऐसे निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया, जिसकी शब्दावली सदस्य देशों के कर्तव्यों को पहचानते हुए पीड़ितों के कुछ अधिकारों की पहचान करती है।


### 1. न्याय और उचित व्यवहार का सिद्धांत

इस सिद्धांत में निम्न अधिकार शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

1. सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और आत्म सम्मान पाने का अधिकार

## महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के पीड़ितों के लिए सहायता प्रणाली

कुछ वर्गों के पीड़ितों को न्याय और सहायता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता होती है। कानूनी रूपरेखा के परिणामस्वरूप महिलाओं के विरुद्ध अपराधों जैसे बलात्कार, महिलाओं के सम्मान को हानि, पीछा करना, छिपकर देखना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज की मांग, तेजाब फेंकना, दो के साथ विवाह या अधिक के साथ विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, मानव तस्करी या वेश्यावृत्ति, अनुचित प्रतिनिधित्व आदि के पीड़ितों के लिए एक सहायता तंत्र उपलब्ध हुआ है। ऐसे मामलों में जहां सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है, मर्जी से विवाह करने के अधिकार का उल्लंघन होता है, जहां शिक्षा के अधिकार और कार्य के अधिकार के संबंध में लिंग के आधार पर भेदभाव होता है और महिलाओं को नीतियों में अनदेखा किया जाता है, ऐसे मामलों के लिए भी सहायता तंत्र उपलब्ध हैं। निम्न फ्लो चार्ट अनुक्रम को असाानी से समझने में सहायता करता है जिसमें इस तरह की सहायता प्राप्त की जा सकती है:



2. न्याय की उपलब्धता का अधिकार
3. अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार
4. मुकदमे की प्रक्रियाओं और उसमें उनकी भूमिका के संबंध में जानने का अधिकार
5. प्रक्रियाओं के दौरान सुनवाई और विचार किए जाने का अधिकार जिसमें रिलीज, जमानत, याचिका या दण्ड, जो भी उचित हो, शामिल है।

6. पीड़ित प्रभाव विवरण को प्रस्तुत करने का अधिकार और न्यायालय में इसकी सुनवाई करने और विचार किए जाने का अधिकार, जो भी उचित हो।
7. कानूनी प्रक्रिया में उचित सहायता करने का अधिकार।
8. निजी वकील खड़ा करने का अधिकार
9. कम से कम असुविधा होने का अधिकार
10. निजता का अधिकार
11. सुरक्षा का अधिकार और आरोपी से उचित सुरक्षा का अधिकार
12. जल्दी न्याय मिलने का अधिकार
13. समझौता/मध्यस्थता/विवाचन, जो भी आवश्यक हो, का अधिकार
14. उचित समाधान का अधिकार

## 2. क्षतिपूर्ति का सिद्धांत

1. आरोपी से समय पर पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार।
2. आरोपी से क्षतिपूर्ति के अधिकार में सम्पत्ति को वापिस करना, हानि या नुकसान के लिए भुगतान, खर्चों के लिए मानदेय, सेवाओं का प्रावधान और अधिकारों को वापिस देना।
3. पर्यावरण को हानि के मामले में, इस प्रकार के अधिकारों में पर्यावरण की क्षतिपूर्ति, इन्फ्रास्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण, सामुदायिक सुविधाओं का विस्थापन और पुनरस्थापना के खर्च के लिए मानदेय शामिल है।
4. यदि अपराधी सरकारी सेवक है जो अपने कार्यालय में नौकरी करता है या अर्ध-सरकारी क्षमता में कार्य करता है, तो इस प्रकार के क्षतिपूर्ति के अधिकार में राज्य से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार भी शामिल है।

## 3. मुआवजे का सिद्धांत

यह सिद्धांत शारीरिक चोट या विकलांगता या मानसिक स्वास्थ्य के पीड़ितों और उनके परिवार को उस परिदृश्य में राज्य से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार देता है जहां दोषी से पूरा मुआवजा उपलब्ध नहीं हो सकता।

## 4. सहायता का सिद्धांत

1. सहायता का सिद्धांत: पीड़ितों को सरकारी, स्वैच्छिक, समुदाय आधारित एवं देशी विधियों के माध्यम से आवश्यक सामग्री, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता पाने का अधिकार है।
2. उपलब्ध स्वस्थ एवं सामाजिक सेवाओं के संबंध में सूचना का अधिकार
3. स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता का अधिकार
4. संवेदनशील और प्रशिक्षण कर्मचारी के द्वारा सहायता पाने का अधिकार।
5. हानि की प्रकृति के आधार पर उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में सहायता का अधिकार।



## क्षतिपूर्ति और राज्य

धारा 357 के अंतर्गत मुआवजे को निम्न के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है: क) जहां जुर्माना दण्ड का एक भाग होता है और ख), जहां जुर्माना दण्ड का हिस्सा नहीं होता। जहां जुर्माना दण्ड का एक हिस्सा होता है वहां मुआवजा मुकदमे के खर्चों के लिए दिया जा सकता है और अपराध के कारण हुई हानि या चोट के खर्च के लिए दिया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार का भुगतान याचिका की अवधि खत्म होने तक नहीं दिया जाना चाहिए, या जहां याचिका दायर की गई है वहां इसका निर्णय आने तक नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन मुआवजे के दोनों ही रूप मुकदमे के खत्म होने पर दण्ड पर निर्भर हैं, जिसमें हमारी न्यायिक प्रणाली के अनुभव के अनुसार सालों लग जाते हैं। इसके अलावा यह प्रावधान इस प्रकार का भुगतान करने की अपराधी की योग्यता को ध्यान में नहीं रखता।

ऐसे मामलों में हानि, चोट या नुकसान की भरपाई करना राज्य पर निर्भर है; क्योंकि राज्य प्रथम दृष्टया उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में असफल होता है। इस बाध्यता के अनुसार धारा 357क को आपराधिक दण्ड संहिता में जोड़ा गया है जिसके जिसमें राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के अनुसार पीड़ित क्षतिपूर्ति योजनाओं को तैयार करने की जरूरत है। जहां न्यायालय मुआवजे की सिफारिश करता है वहां मुआवजे की मात्रा का निर्धारण करना जिला या राज्य स्तर के कानूनी सेवा प्राधिकार की बुद्धि पर निर्भर है। यदि अपराधी की पहचान नहीं हो पाती, तो ऐसे में पीड़ित डीएलएसए/एसएलएसए को मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है और उसे दो माह के अंदर पर्याप्त मुआवजा देना होगा।

डीएलएसए/एसएलएसए पुलिस अधिकारी या एक मजिस्ट्रेट के प्रमाणित करने पर तुरंत पीड़ित को मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा लाभ प्रदान कर सकता है या कोई अन्य अंतरिम राहत प्रदान कर सकता है। धारा 357ग सभी सार्वजनिक या निजी अस्पतालों को एसिड अटैक या बलात्कार के लिए प्रावधानों के अंतर्गत अपराध से पीड़ित को तुरंत मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सकीय उपचार प्रदान करने के लिए बाध्य करती है।

धारा 357ख को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के माध्यम से जोड़ दिया गया था लागू होता है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मुआवजा जुर्माने के अतिरिक्त होना चाहिए। इस संशोधन का एक मुख्य दोष यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सभी अपराधों और पीड़ितों के लिए कहा है, लेकिन यह प्रावधान केवल आईपीसी की धारा 326क और धारा 376घ के उद्देश्य के लिए लागू होता है जबकि दूसरे अपराधों के पीड़ितों को यह अनदेखा करता है।

## दस्तावेज के उद्देश्य एवं समीक्षा

उक्त सिद्धांतों और अधिकारों, जिन्हें प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है, को ध्यान में रखते हुए यह दस्तावेज सबसे पहले मुख्य व्यवसायियों की पहचान करने का प्रयास करता है जो पीड़ितों के सम्पर्क में आते हैं और उसके बाद उन कर्तव्यों की सूची बनाने का प्रयास किया गया है जिन्हें कानूनी रूप से पूरा करने के लिए वे बाध्य हैं जिन्हें पूरा करने की उम्मीद उनसे की जाती है। व्यवसायिक जिम्मेदारियों की पहचान करने में हमने न केवल भारतीय कानूनों, आचार संहिताओं

और मानक कार्य प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा है, बल्कि सक्रिय रूप से पूरी दुनिया से सर्वश्रेष्ठ कार्यव्यवहारों को शामिल किया है। इसलिए यह दस्तावेज निम्न मुख्य व्यवसायियों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता है ताकि वे न्याय को सही अर्थों में प्रदान करने का प्रयास किया जा सके। इसके विपरीत यह दस्तावेज अपराध के पीड़ित व्यक्ति को उनके अधिकारों और निम्न अधिकारियों से उम्मीदों की जानकारी का भण्डार है:

1. पुलिस/कानून लागू करने वाली एजेंसियां
2. वकील और सरकारी वकील
3. न्यायधीश और न्यायिक अधिकारी
4. स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी
5. गैर-सरकारी संगठन
6. मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया)
7. कर्मचारी

हम दो विरोध पत्रों के साथ दूसरे भाग में जाएंगे। पहला यह कि दस्तावेज में चिन्हित कर्तव्य और जिम्मेदारियां विशेष और स्थानीय कानूनों के अंतर्गत बिना भेदभाव के पीड़ितों के अधिकार होते हैं। दूसरा, हमने पीड़ित शब्द की एक व्यापक परिभाषा को अपनाया है ताकि उनके विरुद्ध किए गए अपराधों की प्रकृति पर ध्यान न देते हुए न्यूनतम मानक अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके।

## 2. मुख्य पदों पर कार्यरत व्यवसायी— कर्तव्य और जिम्मेदारियां

### (1) पुलिस/कानून लागू करने वाली एजेंसियां

एक सूचित अपराध के प्राथमिक उत्तरदाता होने के कारण, पुलिस/कानून लागू करने वाली एजेंसियां आपराधिक न्यायिक प्रणाली की रीढ़ होते हैं। अपराध को रोकने में राज्य के असफल रहने के कारण पुलिस की विशेष जिम्मेदारी है कि वह पीड़ित की तुरंत पीड़ा में सहायता करे और इस प्रक्रिया में पीड़ित में सुरक्षा का भाव पैदा करे। पुलिस की कार्यवाही में पीड़ित की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण में निम्न को शामिल किया जाना चाहिए:

1. पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता और पीड़ित सहायता तकनीकों के साथ 'मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा' प्रदान करने की योग्यता।
2. शारीरिक प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी को समान महत्व।
3. अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण से प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावहारिक कानूनी ज्ञान आधार।
4. आधुनिक जांच तकनीकों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करना।

पुलिस कर्मियों को सुरक्षित और प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित कार्य पीड़ितों के लिए अधिकार और अपेक्षाएं हैं जो कानूनी और पेशेवर दोनों कर्तव्य बनती हैं:

#### **प्राथमिक चिकित्सा और सहायक अनुक्रिया**

1. पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा के साथ-साथ 'मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा' प्रदान करें
2. पीड़ित के तत्काल, अल्प अवधि और दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की जरूरतों को निर्धारित करने के लिए पीड़ित व्यक्ति का मूल्यांकन करें।
3. अखंडता, करुणा के साथ पीड़ितों की गरिमा और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर और पूर्वाग्रहों से रहित तरीके से कार्य करें।
4. शिकायत दर्ज करने से पीड़ित व्यक्ति को व्यक्तिगत राय न दें, पारिवारिक मूल्यों या सामाजिक मूल्यों की दुहाई न दें।

## यौन हमले के पीड़ित

दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला फोरम बनाम भारतीय संघ एवं अन्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन हमले की शिकार महिलाओं के सामने आने वाली निम्न समस्याओं को उजागर किया:

- पीड़ितों को पुलिस के द्वारा अपमानित किया गया।
- पीड़ितों ने पाया कि बलात्कार का मुकदमा 'दर्दनाक अनुभव' था।
- न्यायालय में सबूत देने के अनुभव नकारात्मक और विनाशकारी था।
- न्यायिक प्रक्रियाओं ने पीड़ित के मनोवैज्ञानिक दर्द को बढ़ाया और लम्बा खींचा।

उक्त समस्याओं से लड़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न निर्देश जारी किए:

- यौन हमले के मुकदमों की शिकायतकर्ता को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए।
- पीड़ित के अधिवक्ता की भूमिका केवल पीड़ित को मुकदमों की प्रकृति को समझाने, उसे मुकदमों के लिए तैयार करने और उसे पुलिस स्टेशन और न्यायालय में सहायता करने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उसे इस बारे में भी मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए कि वह दूसरी एजेंसियों से किस प्रकार सहायता प्राप्त कर सकती है।
- पुलिस स्टेशन में कानूनी सहायता प्रदान करनी होगी। इन मामलों को लड़ने के इच्छुक वकीलों की सूची पीड़ित के लिए पुलिस स्टेशन में उपलब्ध होनी चाहिए।
- आपराधिक चोट क्षतिपूर्ति बोर्ड का गठन करना अनिवार्य है।
- अपराध साबित होने पर न्यायालय द्वारा और आपराधिक चोट क्षतिपूर्ति बोर्ड द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान करना चाहे अपराध सिद्ध हुआ हो या नहीं।

## एफआईआर को दर्ज करना

1. संज्ञेय अपराधों के मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और प्राथमिकी जांच के संबंध में एक संज्ञेय अपराध का पूरा न होने के संबंध में ही प्राथमिक जांच की जाएगी।
2. जहां प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं मिला है, तो शिकायत के एक हफ्ते के अंदर पीड़ित को लिखित में ऐसे निष्कर्षों के कारण बताने चाहिए।
3. तुरंत एफआईआर की एक प्रति और साथ ही अपराध की एक लिखित रसीद प्रदान करें जिसमें दर्ज करवाए गए अपराध का आधारभूत विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।
4. यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्राधिकार का अभाव एफआईआर के पंजीकरण के लिए एक बाधा नहीं बनता है।
5. भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज करें यदि पीड़िता को आरोपी से धमकियां प्राप्त होती हैं।

## प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया

प्राथमिकी (एफआईआर) एक दस्तावेज होता है जिसे पुलिस को आपराधिक मामलों में अनिवार्य रूप से दर्ज करना पड़ता है जब पुलिस को प्रथम सूचना दी जाती है। इस प्रकार की प्राथमिकी को या तो पीड़ित द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्ज कराया जा सकता है जो अपराध के बारे में जानता है। धारा 154 एफआईआर दर्ज करवाने की विधि का वर्णन करती है:-

- आप एफआईआर लिखित में दे सकते हैं।
- जहां एफआईआर मौखिक में स्टेशन इनचार्ज पुलिस अधिकारी को दी जाती है वहां इसे संबंधित अधिकारी द्वारा लिखा जाता है।
- आपके द्वारा दी गई मौखिक सूचना को पढ़कर सुनाना होगा।
- आपको एफआईआर पर केवल यह सुनिश्चित करने के बाद ही हस्ताक्षर करने चाहिए कि इसमें दी गई सूचना सत्य है और आपके ज्ञान के अनुसार सही है।
- एफआईआर की कॉपी आपको बिना किसी लागत के उपलब्ध करवानी होगी।
- जहां कोई पुलिस अधिकारी आपीसी की धारा के अंतर्गत आपराधिक यौन उत्पीड़न के प्रावधानों के संबंध में किसी सूचना को दर्ज करने से मना करता है, वहां ऐसा अधिकारी आपीसी की धारा 166 क के अंतर्गत दण्ड पाने का भागीदार है।

## सर्वोच्च न्यायालय और एफआईआर दर्ज करना

ललिता कुमार बनाम यूपी सरकार एवं अन्य (2008) 7 एससीसी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के संबंध में निम्न दिशानिर्देश जारी किए:

- एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और जहां यह सूचना दण्डनीय अपराध के संबंध में है तो इसके बिना प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है।
- उन दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी जो एक दण्डनीय अपराध की जानकारी मिलने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं करता।
- एक प्रारंभिक जांच वैवाहिक विवादों, व्यापारिक अपराधों, चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों, भ्रष्टाचार के मामलों और उन मामलों में की जा सकती है जहां असामान्य देरी होती है या उपेक्षा होती है।
- दण्डनीय अपराधों के संबंध में सभी सूचनाओं, चाहे उनमें एफआईआर दर्ज हो या प्रारंभिक जांच हो, को जनरल डायरी/स्टेशन डायरी/दैनिक डायरी में दर्ज करना होगा और प्रारंभिक जांच करने का निर्णय इसमें लिखना होगा।

## प्रश्न पूछना एवं जांच:

1. पूछताछ से पहले पीड़ित को प्रतिनिधित्व करने के अधिकार के बारे में जानकारी दें।
2. गंभीर/जघन्य अपराध के मामले में या जहां भी उपयुक्त हो, पीड़िता के बयान को दर्ज करते समय पुलिस को पीड़िता के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या दोस्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहिए।

3. पीड़ितों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और पीड़ितों की गोपनीयता को सुनिश्चित करें।
4. हर समय पुलिस स्टेशन के परिसर में एक महिला पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
5. जहां एक महिला पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन के परिसर के अंदर उपलब्ध नहीं है, एक महिला पुलिस अधिकारी को दूसरे न्यायालयों से लाया जाना चाहिए।
6. सुनिश्चित करें कि केवल संवेदनशील, संवेदी और प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों को बलात्कार पीड़ितों या बाल पीड़ितों से सवाल पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए।
7. जहां पीड़ित एक बच्चा है, माता-पिता की उपस्थिति में बच्चे के निवास पर और एक अनुकूल तरीके से माता-पिता की उपस्थिति में वक्तव्य लिया जाना चाहिए जिसे वर्दी में नहीं होना चाहिए।
8. जांच के चरण में, पीड़ितों को दिए गए सभी प्रश्न अनौपचारिक होने चाहिए और एक अमानवीय प्रारूप के अनुरूप होने के बजाय शिकार को एक व्यक्ति के रूप में संबोधित करना चाहिए।
9. उसी अधिकारी की निरंतरता सुनिश्चित करें जिसने बाद के सभी साक्षात्कारों में पीड़ित से पूछताछ की थी।
10. पूछताछ करते समय तकनीकों का उपयोग करके सभी जानकारीयें एकत्रित की जानी चाहिए, जो किसी भी तरह से पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को और अधिक न बढ़ाएं और एक साधारण भाषा में दर्ज की जानी चाहिए।
11. सबूत इकट्ठा करने के लिए अपेक्षित उपकरणों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करें।
12. जांच एक तेज तरीके से पूरी की जानी चाहिए ताकि आरोपी जमानत न करवा सके।

#### **चिकित्सा जांच:**

1. महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में, जांच अधिकारी और एक महिला पुलिस अधिकारी को पीड़ित व्यक्ति की जहां भी आवश्यक हो चिकित्सा जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।
2. जहां भी आवश्यक हो वहां चिकित्सा जांच की प्रकृति के संबंध में पीड़ित को बताएं।
3. जैसे ही पुलिस अधिकारी बलात्कार का अपराध के होने के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है उसे बलात्कार संकट सेल को सूचित किया जाना चाहिए।
4. गंभीर/जघन्य अपराधों या जहां भी उपयुक्त हो मामलों में चिकित्सा अधिकारी और साथ ही एक अपराध विज्ञान के विशेषज्ञ को जांच अधिकारी को अपराध के दृश्य पर जांच में शामिल करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जांच में कोई चूक नहीं है, जिसके कारण अपराधी को गलत तरीके से बरी किया जा सकता है।

#### **कानूनी सहायता:**

1. बलात्कार, यौन उत्पीड़न या बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों से निपटने के इच्छुक व्यक्तियों की एक सूची पुलिस स्टेशन में प्रदर्शित की जानी चाहिए।
2. एक निजी वकील को शामिल करने के अधिकार के बारे में पीड़ित को सूचित करें।
3. यौन उत्पीड़न के पीड़ित से पूछताछ के समय वकील की मौजूदगी के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित करें।

### **पीड़ित को सूचना, सहायता और मदद:**

1. जांच की प्रगति के संबंध में पीड़ित को ताजा जानकारी देते रहें।
2. पीड़ित को आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी या जमानत या पैरोल के बारे में सूचित करें।
3. जहां जांच बंद हो जाती है, पीड़ित को इसका कारण लिखित रूप में बताया जाना चाहिए कि इस तरह की जांच क्यों बंद कर दी गई है।
4. जांच अधिकारी को अनावश्यक जटिलताओं और गलतफहमी से बचने के लिए पीड़ित की भाषा में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए।
5. पुलिस विभाग में पीड़ित सहायता इकाई की स्थापना की जानी चाहिए।
6. पीड़ितों को प्रोत्साहित करें और उनकी रिकवरी में तेजी लाने के लिए अपनी सामान्य दिनचर्या फिर से स्थापित करने में सहायता करें।
7. अपराध के पीड़ित के रूप में अपने मौलिक, कानूनी और मानव अधिकारों के बारे में उसे सूचित करें।
8. पीड़ितों को उन संगठनों के बारे में सभी विवरण प्रदान करें जो पीड़ितों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें विशिष्ट सहायता प्रदान करते हैं जिसमें संगठन का सम्पर्क नम्बर और पीड़ित की उम्मीद के अनुसार सेवा का प्रकार आदि शामिल है।
9. जहां भी आवश्यकता होती है वहां परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पीड़ित की सहायता करें और ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों के मनोचिकित्सक विभाग के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों के साथ संबंध स्थापित करें।
10. पीड़ितों को आवश्यक जानकारी प्रदान करें। जांच अधिकारी, सहायता समूहों, राज्य पीड़ित मुआवजा सहायता और टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर का संपर्क विवरण।
11. यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित को निःशुल्क तत्काल प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा लाभ या कोई भी अन्य अंतरिम लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जहां कहीं भी आवश्यक हो, संहिता की धारा 357 ए (6) के तहत पीड़ित के लिए उपलब्ध है।
12. एक व्यवहारिक शिकायत तंत्र की स्थापना जो उन पुलिस अधिकारियों को दंडित कर सकता है जो पीड़ित की सहायता के मानदण्डों को नहीं अपनाते हैं।

### **(2) वकील और सरकारी वकील**

न्यायालय के अधिकारियों के रूप में वकीलों और सरकारी वकीलों की पीड़ितों के प्रति एक अलग और विशेष जिम्मेदारी होती है। न्याय की तलाश में पीड़ित वकीलों और सरकारी वकीलों पर निर्भर रहते हैं। इस परिदृश्य में वकीलों की भूमिका केवल कानूनी प्रतिनिधित्व करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे भी आगे होती है, अर्थात् पीड़ित को सहायता व वकालत दोनों प्रदान करना। भारतीय न्यायपालिका द्वारा सरकारी वकील की व्याख्या के अनुसार पीड़ित के दृष्टिकोण से ईमानदारी, सच्चाई, निष्पक्षता और शराफत की होनी चाहिए। यह कहने का अर्थ है पीड़ित व्यक्ति द्वारा नियुक्त वकील और/या सरकारी वकील को पीड़ित के प्रति निम्न जिम्मेदारियां निभानी चाहिए:

### **कानूनी सहायता:**

1. सुनिश्चित करें कि पीड़ित अपने निजी वकील को खड़ा करने के अधिकार से अवगत हैं।
2. जब भी आवश्यकता हो अपराध के दृश्य पर वकील, पीड़ितों और पुलिस को सहायता और सलाह के लिए बुलाया जाता है तो अपने आपको तत्काल पीड़ित की मदद के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
3. पूछताछ के समय अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करके पुलिस के साथ व्यवहार करने में पीड़ित व्यक्ति की सहायता करें
4. निष्पक्षता और सच्चाई बनाए रखने के दौरान पीड़ितों के हितों की प्राथमिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करें।
5. पीड़ितों के मौलिक, संवैधानिक और मानव अधिकारों की रक्षा करें
6. रिकवरी और मुआवजे के अधिकार सहित उनके मौलिक, वैधानिक और मानवाधिकारों के पीड़ितों को सूचित करें।

### **अतिरिक्त कानूनी सहायता:**

1. पीड़ितों की आवश्यकताओं और उम्मीदों के अनुसार उन्हें संगठनों के बारे में सभी विवरण प्रदान करें, जिसमें संगठन का संपर्क नम्बर शामिल है।
2. सुनिश्चित करें कि पीड़ित को सभी एजेंसियों के साथ सम्मान, गरिमा और करुणा के साथ व्यवहार किया जाता है।
3. पीड़ितों को चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपचार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

### **पूछताछ के दौरान सहायता:**

1. पीड़ित की गोपनीयता और पीड़ित द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखना सुनिश्चित करें।
2. पीड़ित और खुद के बीच किसी भी बातचीत का खुलासा न करें।
3. पीड़ित को अदालत की कार्यवाही की प्रकृति समझाएं और उन्हें बताएं कि आगे के दिनों में क्या प्रत्याशाएं हैं।
4. पीड़ितों को अदालत से पहले उनके बयान में सहायता करें।
5. यह सुनिश्चित करें कि उनके बयान के समय पीड़ित के पास एक सहयोगी/साथी हो।
6. पीड़ित प्रभाव विवरण को लिखने और अदालत में पढ़े जाने में पीड़ित की सहायता करें।
7. पीड़ित व्यक्ति को जमानत के बारे में बताया जाए और अदालत में पढ़ा जाता है।
8. राय, पूर्वाग्रह, भेदभाव या व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के बिना पीड़ितों द्वारा घटनाओं के संस्करण को स्वीकार करें।
9. पीड़ितों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अपराध के प्रभाव पर उचित विचार दें
10. निडरता और अखंडता, करुणा, पीड़ितों की गरिमा और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और पूर्वाग्रहों से रहित तरीके से सम्मान के साथ कार्य करें।
11. यदि अभियुक्त को आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है, मुकदमा काफी बदल जाता है, कार्यवाही बंद कर दी जाती है या कोई सबूत नहीं दिया जाता है तो पीड़ित को इसके बारे में जानकारी दें।



12. सभी सरकारी वकीलों को की गई कार्यवाही के संबंध में पीड़ितों के विचारों और विश्वासों पर उचित विचार करना चाहिए।
13. अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के अपने अधिकार के बारे में पीड़ित को सूचित करें। रिकवरी/मुआवजे के साथ-साथ मुकदमा चलाने के अधिकार के बारे में भी बताएं। जहां पीड़ित को अदालती न्याय की बजाय तात्कालिक न्याय पसंद है तो उसे सुरक्षित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।
14. पीड़ित को अदालत की प्रक्रियाओं और कार्यवाही के संबंध में प्रगति के बारे में सूचित करें।
15. आरोपी को जमानत मिलने पर पीड़ित को धमकियां प्राप्त होती हैं वहां पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
16. पीड़ित और आरोपी के बीच सम्पर्क को कम करें और अग्रिम बैठकों की योजना बनाकर अभियुक्त के वकील के बीच संपर्क को कम करने में सहायता करें।
17. पुलिस, पीड़ित और गवाहों के बीच सहयोग में सहायता करें।
18. पीड़ित पर अपराध के प्रभाव के आधार पर क्षतिपूर्ति, रिकवरी के साथ-साथ सजा के निर्धारण में अदालत की सहायता करें।
19. पीड़ित के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी प्रक्रिया के बारे में ताजा जानकारी रखें।

### **पीड़ित की सुरक्षा:**

1. सुरक्षा की गारंटी देने के लिए एक योजना विकसित करने के लिए पीड़ित की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पहचानें।
2. अभियुक्त की गिरफ्तारी या रिहाई पर जमानत या पैरोल पर पीड़ित को तत्काल सूचना दें।

### **(3) न्यायधीश और न्यायिक अधिकारी**

प्रतिरोधात्मक तंत्र में न्यायधीश एक वस्तुपूरक और भेदभाव रहित निर्णयकर्ता होता है। हमारा अधिकतर न्यायिक ढांचा आरोपी के अधिकारों पर केंद्रित है जिसे न्यायिक तंत्र द्वारा बनाए रखा जाना पड़ता है। इस प्रकार के परिदृश्य में कानून के शासन को बनाए रखते हुए यह ध्यान में रखना जरूरी है कि मुकदमों को खत्म करने और उसके बाद पुर्नवास की यात्रा में पीड़ित की संभावित सहायता करनी चाहिए। यह दस्तावेज उन नैतिक मानदण्डों का विवरण प्रदान नहीं करता जिन्हें न्याधीशों और न्यायिक अधिकारियों को अपनाना चाहिए, लेकिन यह स्पष्ट है कि जिस तरह से मुकदमों की कार्यवाही होती है, सबूतों को प्रस्तुत किया जाता है और कानून की व्याख्या की जाती है उसका पीड़ित के अनुभव पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में न्यायधीश का कानूनी प्रक्रिया पर नियंत्रण यह सुनिश्चित करने में बहुत महत्व रखता है कि पीड़ित का अनुभव सकारात्मक हो जो उनके पुर्नवास में सहायता करता है और यह उसमें बाधा नहीं पहुंचाता।

1. सुनिश्चित करें कि अदालत के सभी कर्मचारियों, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को पीड़ितों की आवश्यकताओं की संवेदनशीलता के लिए आवधिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
2. सुनिश्चित करें कि सभी कार्यवाही पीड़ित के प्रति उचित सम्मान और संवेदनशीलता और उनकी गरिमा को सम्मान के साथ आयोजित की जाती है।

## पीड़ित पर प्रभाव का विवरण

हमारे जैसे विरोधात्मक तंत्र में न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पीड़ित को बहुत कम अवसर प्रदान किए जाते हैं। इससे अन्याय की भावना आ सकती है, विशेष रूप से वहां जहां पीड़ित के साथ एक संस्थागत उपेक्षा के साथ व्यवहार किया जाता है। अनुरूपता के सिद्धांत के अनुसार न्यायालय को पीड़ित पर अपराध के प्रभाव को ध्यान में रखना पड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम सलीम, (2005) 5 SCC 554 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दण्ड की मात्रा अपराध करने वाले व्यक्ति द्वारा पीड़ित पर की गई सख्ती, अत्याचार और पाशिवकता के अनुसार होनी चाहिए।

इस उद्देश्य से एक पीड़ित प्रभाव विवरण (सलग्नक 2) न्यायालय को अपराध के कारण पीड़ित को हुई प्रत्यक्ष हानि के स्तर का अंकन करने की अनुमति देता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य प्रकाश बनाम राज्य (2013) 3 MWN (Cri) 373 के मामले में पहली बार माना कि सड़क दुर्घटना के मामलों में संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ को एक जांच के लिए नियुक्त करना होगा और एक रिपोर्ट दर्ज करनी होगी जिसका नाम है—‘पीड़ित प्रभाव रिपोर्ट’। लेकिन पीड़ित को सुनवाई के अधिकारी की गारंटी देने के लिए और उस पर विचार करने के लिए पीड़ित प्रभाव विवरण की अवधारणा को सामान्य तौर पर आपराधिक न्याय प्रणाली में लागू करना अनिवार्य है।

3. अपराधों की घटनाओं से पहले और बाद में अभियुक्त के आचरण के संबंध में संबंधित समूहों, पुलिस, अधिवक्ताओं, अभियोजन पक्ष और रिश्तेदारों से जानकारी प्राप्त करने के बाद पीड़ित का जोखिम मूल्यांकन करें और गवाहों के सुरक्षा जोखिम को भी कम करें।
4. कार्यवाही के दौरान अभियुक्त और पीड़ित के बीच न्यूनतम संपर्क सुनिश्चित करें
5. अदालत परिसर में अदालत के कमरे के साथ-साथ आरोपी और पीड़ितों के लिए अलग-अलग प्रतीक्षा क्षेत्रों और प्रवेश बिंदुओं को सुनिश्चित करें।
6. सुनिश्चित करें कि साक्ष्य देने से पहले पीड़ित को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़े।
7. सुनिश्चित करें कि बचाव वकील द्वारा पीड़ितों को दिए गए प्रश्न अनुचित या आक्रामक नहीं हों और इन्हें पहले से ही अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जाए।
8. सुनिश्चित करें कि पीड़ित को अंतरिम मुआवजा मिले और यदि नहीं, तो उसे पीड़ित को दिए जाने के लिए आदेश दें।
9. परीक्षण को तेजी से पूरा करें, ताकि यात्रा, बोर्डिंग, आवास और अन्य खर्चों के मामले में पीड़ित पर अनावश्यक भार न पड़े।
10. पीड़िता द्वारा अदालत की कार्यवाही के दौरान किए गए सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना, यात्रा और आवास सहित
11. जांच को शीघ्र पूरा करें ताकि मनोवैज्ञानिक कठिनाई को कम किया जा सके।
12. सुनिश्चित करें कि पीड़ित के अधिकारों को न्याय और उचित उपचार तक पहुंच के सिद्धांतों के तहत रिकवरी, मुआवजे और सहायता की गणना में प्रयोग किया जाए।

## न्यायालय और क्षतिपूर्ति

पीड़ितों को इस प्रकार का मुआवजा देने के लिए न्यायालय के विकसित होते हुए परिदृश्य को देखना महत्वपूर्ण है। 1981 में मारु राम एवं अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य (1981) 1 SCC 107 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि क्षतिपूर्ति करना या पहुंचाई गई चोट को ठीक करने की अपराधी की सामाजिक जिम्मेदारी दण्डात्मक कार्य का एक हिस्सा है लेकिन जेल की अवधि विकलांग हो चुके व्यक्ति के लिए या मर चुके व्यक्ति के लिए क्षतिपूर्ति नहीं है लेकिन निर्दयता के साथ एक निरर्थकता है। 1988 में हरि सिंह बनाम सुखबीर सिंह एवं अन्य (1988) 4 SCC 551 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि आपराधिक दण्ड संहिता के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के प्रावधानों की सहायता न लेना न्यायालय की असफलता है।

कुछ अन्य निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 357 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान करने की शक्ति अन्य दण्ड के अधीन नहीं है बल्कि इसके अतिरिक्त है। (बलराज बनाम यूपी राज्य (1994) 4 SCC 29) दिलीप एस. धनुकर बनाम कोटक महिंद्रा कम्पनी लिमिटेड एवं अन्य (2006) 6 SCC 528 को पढ़ें। अंकुश शिवाजी गायकवाड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 6 SCC 770 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सबसे पहले धारा 357 का प्रयोग किया ताकि पीड़ितों को यह सुनिश्चित कराया जाए कि आपराधिक न्यायिक प्रणाली में उनको भूलाया नहीं गया है और दूसरा, जबकि प्रावधान क्षतिपूर्ति को प्रदान करने का प्रश्न न्यायालय के विवेक पर छोड़ता है, लेकिन यह न्यायालयों को एक कृतव्य के साथ शक्ति भी प्रदान करता है कि वे प्रत्येक आपराधिक मामले में क्षतिपूर्ति प्रदान करने के प्रश्न को उनके मन में रखें। आपराधिक दण्ड संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधानों को इस दस्तावेज के अंत में सलग्न किया गया है (सलग्न 1)।

13. न्याय के लिए अपने अधिकार को प्राप्त करने में उनकी सक्रिय भागीदारी को सक्षम करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पीड़ितों के लिए निशुल्क एक दुभाषिया/अनुवादक की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
14. सुनिश्चित करें कि पीड़ित या अभियोजन पक्ष से एक पीड़ित प्रभाव वक्तव्य प्राप्त किया जाए और अभियुक्त की उपस्थिति में अदालत में उसे पढ़ने की अनुमति मिले।
15. हालांकि, बहाली और मुआवजे के सिद्धांतों के तहत अधिकार मामले के नतीजे पर निर्भर हैं इसलिए न्याय और निष्पक्ष व्यवहार के साथ-साथ सहायता के अधिकार के सिद्धांतों के अंतर्गत अधिकार मुकदमें के सभी चरणों में सुरक्षित होने चाहिए।
16. सजा की मात्रा या जमानत याचिका की सुनवाई करते समय पीड़ित पर अपराध के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
17. पीड़ित की आवश्यकता के अनुसार, विशेष रूप से ऐसे पीड़ित जिनको द्वितीय और बार बार पीड़ित होने का जोखिम है, के लिए किसी विशेष उपाय, विशिष्ट सेवाओं और कानूनी सुरक्षा के लिए आदेश दें। जोखिम की प्रकृति के आधार पर ऐसी सेवाओं में आश्रय, चिकित्सा उपचार, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सलाह और पुलिस संरक्षण के प्रावधान शामिल होंगे। इस उद्देश्य के लिए, जिन पीड़ितों को जोखिम अधिक है, उनमें

घृणा के पीड़ित, मानव व्यापार, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, बच्चे और विकलांग लोग शामिल हैं, लेकिन यह सूची यहीं तक सीमित नहीं है।

18. पूछताछ के उद्देश्य के लिए जब्त की गई वसूली योग्य संपत्ति की समय पर वापसी के लिए आदेश दें जब तक असाधारण परिस्थितियों में इससे विपरित करने की आवश्यकता नहीं है।
19. पीड़ित और उसकी किसी भी जानकारी की गोपनीयता को सुनिश्चित करें जो पीड़ितों को जोखिम में डाल सकती है
20. यह सुनिश्चित करें कि विधायिका और उच्च न्यायपालिका द्वारा बनाई गई प्रक्रिया और दिशानिर्देश चित और आत्मा में लागू होते हों और उन्हें मन से प्रयोग किया जाए।

#### (4) स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रदाताओं का अपने रोगियों के प्रति जिम्मेदारीपूर्ण संबंध होता है। उनके व्यवसाय की प्रकृति उन्हें एक विशेष स्थान पर तैनात करती है ताकि पीड़ित की न केवल चिकित्सीय उपचार के संबंध में सहायता की जाए बल्कि उनमें सुरक्षा की एक भावना का विकास भी किया जा सके और पुनर्वास की प्रक्रिया में उनकी सहायता की जा सके। इसके अतिरिक्त डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिकल रिपोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर होता है जो मुकदमों के परिणामों को बदल सकती है। उनके द्वारा पीड़ित को प्रदान किए जाने वाले चिकित्सकीय उपचार की क्षमता के साथ समझौता किए बिना स्वास्थ्यकर्मी निम्न के माध्यम से न्याय का सुनिश्चित कर सकते हैं:

##### **चिकित्सकीय सहायता और उपचार:**

1. अखंडता, करुणा, पीड़ितों की गरिमा और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और पूर्वाग्रहों से रहित तरीके से कार्य करें।
2. जहां पीड़ितों की विशेष आवश्यकताएं हों, जहां पीड़ित महिलाएं, बच्चे, विकलांग व्यक्ति हों, यौन उत्पीड़न के शिकार और मानव तस्करी के शिकार हों, वहां विशेष देखभाल के साथ कार्य करें।
3. सुनिश्चित करें कि न केवल प्राथमिक उपचार के संबंध में बल्कि पीड़ित पर अपराध के मनो-सामाजिक प्रभाव के संबंध में और लम्बे समय की चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में भी पीड़ित के हित सर्वोपरि हैं।
4. उपर्युक्त की अनुपालन में आपको केवल प्राथमिक चिकित्सा उपचार ही नहीं करना चाहिए बल्कि प्राथमिक परामर्श भी करना चाहिए। जहां तक आवश्यक हो, आपको अपराध के प्रभाव के बाद लंबे समय तक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना चाहिए।
5. आपको कानूनी रूप से पीड़ितों की चोटों की जांच करने और इलाज करने की आवश्यकता है और वही आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, कानूनी औपचारिकता इसके बाद का कार्य है।
6. यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित या संरक्षक की सूचित सहमति आक्रामक चिकित्सा प्रक्रियाओं को लागू करने से पहले ली गई हो, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियां इसका अपवाद हैं।

7. यह मामला का संक्षिप्त इतिहास रिकॉर्ड करने के साथ-साथ चोटों के विवरण को एक-एक करके उनकी स्थिति, अनुमानित माप और चोट के प्रकार को रिकॉर्ड करने के लिए उचित है।
8. मामलों के निदान के साथ ही तत्काल पूर्वानुमान को दर्ज करना महत्वपूर्ण है।
9. मामले का दर्ज किया गया इतिहास चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार होना चाहिए और यदि कोई विसंगति हो तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

### **मरते हुए व्यक्ति के बयान:**

1. मरते हुए व्यक्ति का बयान दर्ज करते समय, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित उचित मनोस्थिति में है।
2. मरते हुए व्यक्ति का बयान सरल, आसान भाषा में प्रश्न और उत्तर प्रारूप में दर्ज करना चाहिए ताकि आसानी से समझ में आ सके।
3. मरने की घोषणा शब्दशः दो गवाहों की उपस्थिति में दर्ज करें और पीड़ितों के साथ-साथ गवाहों के हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करें।

### **चिकित्सा जांच:**

1. चिकित्सकीय-कानूनी जांच करने से पहले पीड़िता की सूचित सहमति या जहां भी आवश्यक हो, अभिभावक की सूचित सहमति लेनी अनिवार्य है।
2. जहां पीड़ित एक महिला है वहां एक महिला परिचर की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
3. जहां पीड़ित महिला है, चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षा केवल एक महिला चिकित्सक द्वारा आयोजित की जानी चाहिए।
4. गंभीर/जघन्य अपराधों के मामलों में या जहां भी उपयुक्त हो, चिकित्सा अधिकारी को पुलिस अधिकारी के साथ एक व्यापक चिकित्सा रिपोर्ट के लिए जरूरी जैविक सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल पर होना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि चिकित्साकीय कानूनी रिपोर्ट में केवल सरसरी तौर पर दर्ज न हो बल्कि चोटों, फोरेंसिक विश्लेषण और प्रयोगशाला परीक्षणों के संबंध में सभी निष्कर्षों और परिणामों को विस्तार से दर्ज किया जाना चाहिए।
6. चिकित्सकीय-कानूनी विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र करते हुए सुनिश्चित करें कि आपको कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं के संबंध में नवीनतम जानकारी हो।
7. दो उंगली परीक्षण और कौमार्य की स्थिति को यौन हमले के प्रमाण के रूप में अब नहीं माना जाता है और इसलिए चिकित्सकीय कानूनी रिपोर्ट को दर्ज करते समय इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इन तथ्यों को प्रायः न्यायालय में पीड़ित को बदनाम करने के लिया उसका अपमान करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
8. यौन अपराधों के मामलों में चोट की अनुपस्थिति को भी अब सहमति के एक प्रमाण के रूप में वैध नहीं माना जाता और इसलिए आपको चिकित्सकीय कानूनी रिपोर्ट में अपनी राय इस संबंध में नहीं देनी चाहिए।
9. याद रखें कि चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षा के मामलों में आप राज्य के प्रतिनिधि हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जांचकर्ता को डॉक्टर बनने से रोक देते हैं। जांचकर्ता के रूप में आपके पास अभी भी सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियां हैं, जैसा कि किसी सामान्य रोगी के प्रति होते हैं।

10. अस्पताल/प्रयोगशाला को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़िता की जांच करने वाले चिकित्सा अधिकारी परीक्षा के दौरान चिकित्सा अधिकारी द्वारा एकत्रित किए गए प्रमाण के परिणामों की एक प्रति प्राप्त कर ले, ताकि उसे अपनी राय बनाने या प्रमाणित करने की अनुमति मिल सके।

### **अन्य कर्तव्य और जिम्मेदारियां**

1. घरेलू शोषण और हिंसा के संकेतों के लिए महिलाओं और बच्चों जैसे सभी कमजोर रोगियों की जांच
2. जहां घरेलू हिंसा के संकेत स्पष्ट हाते हैं और आप समझते हैं कि पीड़ित के सर्वोत्तम हित में कानून प्रवर्तन एजेंसियों शामिल करना चाहिए वहां पुलिस को सूचित करना चाहिए।
3. अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कर्मचारियों को पीड़ितों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता के लिए गुणवत्तापूर्ण और समय-समय पर प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। साथ ही इस विषय पर सरकारी, न्यायिक और अन्य दिशानिर्देशों के बारे में नवीनतम जानकारी रखनी चाहिए।

## **(5) गैर-सरकारी संगठन**

गैर-सरकारी संगठन किसी अपराध द्वारा सीधे प्रभावित लोगों को सेवाएं प्रदान करके आपराधिक न्याय प्रणाली में कई भूमिकाएं अदा करता है, अर्थात् पीड़ितों, गवाहों और अभियुक्त एनजीओ द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं, परामर्श, मध्यस्थता, पर्यवेक्षण, जागरूकता बढ़ाने, कानूनी शिक्षा और सहायता, आवास और पुनर्वास में शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा कई अन्य भूमिकाएं भी निभाते हैं। ऐसी विभिन्न सेवाओं के साथ, गैर सरकारी संगठन वहां कदम उठा सकता है जहां राज्य विफल हो जाता है। इस प्रकार एनजीओ द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेष सेवाओं के आधार पर यह दस्तावेज पीड़ितों के प्रति एनजीओ के निम्नलिखित कर्तव्यों को स्वीकार करता है:

### **सामान्य कर्तव्य:**

1. अखंडता, करुणा, पीड़ितों की गरिमा और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और पूर्वाग्रहों से रहित तरीके से कार्य करना।
2. पीड़ित के साथ सरल और समझने वाली भाषा में बातचीत करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ित और आप एक दूसरे को समझें।
3. जहां पीड़ित स्थानीय भाषा को नहीं समझता या विकलांग लोगों के मामलों में, पीड़ित को मुफ्त में एक अनुवादक प्रदान किया जाना चाहिए।

### **चिकित्सा और कानूनी सहायता:**

1. अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों में सहायता, सलाह और अपेक्षित चिकित्सा उपचार, मनोवैज्ञानिक
2. परामर्श और संरक्षण प्राप्त करने के लिए पीड़ित की सहायता करें।
3. आपातकालीन रेफरल या चिकित्सा देखभाल के लिए तत्काल व्यवस्था करें, आश्रय, भोजन और परामर्श के संबंध में प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करें।
4. पीड़ित की ओर से अपराध की सूचना दें यदि पीड़ित आपकी सहायता के लिए आपके पास आता है और पूरी प्रक्रिया के माध्यम से उसकी सहायता करें।

5. सुनिश्चित करें कि पीड़ित को अपराध की सूचना देने के बारे में एक लिखित रसीद प्राप्त हुई है।
6. जहां भी आवश्यक हो, पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करें।
7. पीड़ितों को अपने मौलिक, संवैधानिक और मानव अधिकारों के बारे में सूचित करें।
8. पीड़ितों को क्षतिपूर्ति और पुनर्निर्माण के अधिकार के बारे में सूचित करें।
9. पीड़ितों को परीक्षण के दौरान उनके द्वारा किए गए खर्च के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सहायता करें।
10. पीड़ितों की पुलिस अधिकारियों और कानूनी एजेंसी के साथ व्यवहार करने में सहायता करना, जबकि यह सुनिश्चित करना कि उनकी गरिमा और मौलिक अधिकार सुरक्षित और सम्मानित रहें।
11. पीड़ितों को अदालत की कार्यवाही की प्रक्रिया के बारे में सूचित करें।
12. जहां पीड़ित द्वारा न समझे जाने वाली भाषा में अदालत की कार्यवाही आयोजित की जाती है, वहां अदालत की कार्यवाही के अनुवाद को पीड़ित को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
13. पीड़ित के रोजगार और आवास में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए निजी बीमा दावों को प्राप्त करने में सहायता करें।
14. जहां भी आवश्यक हो वहां सुरक्षा आदेश जारी करके पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

#### **पंजीकरण:**

1. सुनिश्चित करें कि आपका संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत है।
2. सुनिश्चित करें कि जहां भी आवश्यक हो, आपका संगठन विशिष्ट और स्थानीय कानूनों के तहत संबंधित राज्य सरकारों के साथ पंजीकृत है, उदाहरण के लिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015।

### **(6) मीडिया**

प्रायः मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया न केवल समाज की अपराध के बारे में अवधारणा का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि पीड़ितों के साथ समाज के व्यवहार के तरीके को भी आकार देता है। कहने की जरूरत नहीं है कि पीड़ित का अनुभव उन नैतिक नियमों और गुणों पर निर्भर है जिनकी पालना मीडिया हाउस और पत्रकार करते हैं। सत्य और निष्पक्ष विवरण को प्रकाशित करना मीडिया की जिम्मेदारी है, लेकिन पत्रकारों की पीड़ित के प्रति मुख्य जिम्मेदारियां निम्न हैं:

1. ईमानदारी, करुणा, पीड़ितों की गरिमा और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और पूर्वाग्रहों से रहित तरीके से कार्य करें।
2. एसी किसी भी तस्वीर, नाम या पते जैसी जानकारी के प्रकाशन से बचें जिससे पीड़ित की पहचान हो सकती है।
3. अनुचित समय पर पीड़ितों की तस्वीर और साक्षात्कार न लें।

4. यौन उत्पीड़न के साथ-साथ यौन अपराधों से पीड़ितों के रूप में फोटोग्राफ या साक्षात्कार न करें।
5. साक्षात्कार के बारे में किसी भी अनुरोध के लिए पीड़ित अपने वकील के माध्यम से ही बात करें।
6. साक्षात्कार के अनुरोध के साथ साथ पीड़ित को पूछने के लिए प्रश्नों की एक सूची सबमिट करें।
7. पीड़ितों को साक्षात्कार के लिए बार बार अनुरोध करके परेशान न करें, अगर पीड़ित इसके लिए मना कर चुका है।
8. पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों की गोपनीयता के अधिकार का सम्मान करें।
9. पीड़ित व्यक्ति के साथ करुणा सहित और उनकी गरिमा का सम्मान करते हुए उनके साथ साक्षात्कार करें।
10. अनुचित, अनौपचारिक, अभद्र या आक्रामक प्रश्नों न पूछें।
11. उन साक्षात्कारों के स्थान पर पीड़ितों द्वारा लिखित बयान स्वीकार करें जहां पीड़ित को साक्षात्कार देने में तकलीफ होती है।
12. पीड़ितों को शर्म करने या उनके खिलाफ अपराध के लिए पीड़ित को दोष देने से बचें।
13. पीड़ित को तब तक बदनाम न करें जब तक कि यह कानूनी अदालत में सिद्ध न हो जाए।
14. इस मामले से संबंधित अनावश्यक जानकारी के प्रकाशन से बचें जिससे कि पीड़ित बदनाम हो सकता है।
15. अपराधी या आरोपी का महिमा मण्डन न करें।
16. पीड़ित के अधिकारों और मुख्य पदों पर कार्यरत व्यवसायियों की जिम्मेदारियों को सभी रूपों और भाषाओं में प्रकाशित एवं वितरित करें।

## (7) नियोक्ता

कार्यस्थल पर किसी भी दुर्घटना को रोकने की जिम्मेदारी के अतिरिक्त रिकवरी के दौरान पीड़ित की सहायता करना भी नियोक्ता की जिम्मेदारी है। ऐसा करने में पीड़ित के वर्तमान और भावी नियोक्ता पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नियोक्ता इसके लिए निम्न कदम उठा सकते हैं:

1. ईमानदारी, करुणा, पीड़ितों की गरिमा और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और पूर्वाग्रहों से रहित तरीके से कार्य करें।
2. सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी पीड़ितों साथ पूर्वाग्रहों से रहित तरीके से सहानुभूति और सम्मान के साथ काम करें।
3. अपराधों के शिकार लोगों की आवश्यकताओं और जरूरतों पर सभी कर्मचारियों के लिए समय समय पर संवेदीकरण प्रशिक्षण का संचालन करें।
4. समझें कि पीड़ित की कार्य करने की क्षमता मनोवैज्ञानिक आघात, चिकित्सा उपचार या अदालत की सुनवाई के कारण कम हो सकती है।



### नियोक्ता और घरेलू हिंसा के पीड़ित

एक नियोक्ता को अपने कर्मचारियों और उनके व्यवहार में घरेलू हिंसा के निम्न संकेतकों को देखना चाहिए:

- खरोंच, आंखों का कालापन, टूटी हुई हड्डियां, सुनने की शक्ति का चले जाना, आदि जिनका कारण पीड़ित द्वारा नहीं बताया जाता, जो इनका कारण प्रायः ठोकर लगना, गिरना, लापरवाही या 'दुर्घटना' बताते हैं।
- इस प्रकार की चोटों का मजाक बनाने या मना करने की कौशिश करना।
- ऐसे कपड़े पहनना जिससे चोटें छिप सकती हैं जबकि इस प्रकार के कपड़े सीजन के अनुसार नहीं होते।
- नियमित वेतन भुगतान के बावजूद पैसे की कमी।
- कार्य निष्पादन में कमी और कार्य की अनियमित गुणवत्ता।
- निरंतर अनुपस्थित रहना और कार्य पर समय पर न आना।
- कार्यस्थल से जाने का मन न करना।
- भावनात्मक परेशानी या निराशा।
- अन्य कर्मचारियों से अलग रहना।
- घरेलू जीवन पर चर्चा के प्रति संवेदनशील होना और इस मुद्दे से बचना।
- आत्म-सम्मान की कमी के साथ अधिक दबूपन और खेदपूर्ण व्यवहार।
- उत्पीड़क के व्यवहार या उत्पीड़न की प्रकृति के बारे में अचेतन रूप से संकेत करना।

इस प्रकार की परिस्थितियों में कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। इस उद्देश्य से निम्न कार्यवाही करनी चाहिए:

- यदि उत्पीड़न करने वाला कार्यस्थल पर बाधा पहुंचाने आता है और आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है तो पुलिस को सूचित करें।
- यह समझना चाहिए कि पीड़ित काफी दबाव में है जो उसके कार्य निष्पादन को प्रभावित कर सकता है और उसे तसल्ली दें कि पुनर्वास की अवधि के लिए उसकी नौकरी सुरक्षित है।
- उत्पीड़क के व्यवहार के लिए पीड़ित के बारे में अनुमान न लगाएं या उसे दोष न दें।
- पीड़ित को संगठन के पीड़ित सहायता कार्यक्रम के बारे में बताएं।

5. समझें कि स्वयं का पुनर्वास करने के लिए पीड़ितों को अपने आर्थिक आजादी के स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें नौकरी प्रदान करें जो पुनर्वास में उनकी सहायता करेगी।
6. यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित की कार्य क्षमता कम होने के कारण उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न करें या उसे नौकरी से न निकालें क्योंकि पीड़ित के पुनर्वास के लिए यह जरूरी है की उसे उचित समय दिया जाए।
7. सुनिश्चित करें कि पीड़ित को किसी भी तरह से काम पर परेशान नहीं किया जाए, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए या उसे बदनाम न किया जाए।
8. कर्मचारियों को भर्ती करते समय अपराध के पीड़ितों के साथ भेदभाव न करें
9. पीड़ितों की जरूरतों के अनुसार पीड़ितों के काम की अनुसूची को संशोधित करें या बदलें ताकि उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके।
10. जहां भी जरूरी हो पीड़ित व्यक्ति को मुफ्त आवास या उचित कीमत पर आवास प्रदान करें।
11. सभी उचित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपराधों के शिकार हुए कर्मचारियों के लिए लाभ, सुरक्षा और कर्मचारी सहायता कार्यक्रमों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक नीति बनाएं।

### 3. संदर्भ एवं अनुशंसित पठन

#### अंतर्राष्ट्रीय संधियां:

- मानवाधिकारों की सार्वभौतिक घोषणा, 1948
- नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम पत्र, 1966
- अपराध और शक्ति के दुरुपयोग से पीड़ितों के लिए न्याय के आधारभूत सिद्धांतों की यूएनजीए घोषणा, 1985।
- रोम संविधि ऑफ इंटरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट, 1998
- पीड़ितों के लिए न्याय पर हैंडबुक: अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के आधारभूत सिद्धांतों की घोषणा का प्रयोग और अनुप्रयोग, अंतर्राष्ट्रीय अपराध निवारण केंद्र, यूएनओडीसीसीपी, 1999
- अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय और सहायता पर यूएन सम्मेलन ड्राफ्ट, 2010
- अपराध के पीड़ितों के अधिकारों, सहायता और सुरक्षा पर न्यूनतम मानदण्डों को स्थापित करते हुए यूरोपीय संसद के निर्देश 2012/29/ईयू
- अपराध के पीड़ितों के लिए व्यवहारिक नियमावली, न्याय मंत्रालय, संयुक्त राज्य, 2015

#### राष्ट्रीय कानून:

- भारतीय दण्ड संहिता, 1860
- भारतीय प्रमाण अधिनियम, 1872
- भारत का संविधान, 1950
- अपराधियों पर प्रतिबंध अधिनियम, 1958
- दण्डात्मक कार्यवाही नियमावली 1983
- महिलाओं के प्रति अश्लीलता (प्रतिबंध) अधिनियम, 1986
- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1993
- सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000
- घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, 2005
- यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012
- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013

- कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध एवं निवारण) अधिनियम, 2013
- बाल न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015

### रिपोर्ट:

- डा. न्यायधीश वी.एस. मलिमाथ (2013), आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार समीति
- न्याधीश जे.एस. वर्मा (2013), "आपराधिक कानून में संशोधनों पर बनी समीति की रिपोर्ट"
- भारतीय कानून आयोग, बलात्कार और संबंधित अपराधों पर 84वीं रिपोर्ट –मूलभूत कानून, प्रक्रिया और साक्ष्य पर कुछ प्रश्न
- भारतीय कानून आयोग, बलात्कार के कानूनों पर 172वीं रिपोर्ट

### मामले

- अधरी धारण दार बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार (2005) 4 SCC 303
- अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र सरकार (2013) 6 SCC 770
- बलराज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (1994) 4 SCC 29
- भास्करन बनाम संकरन वैध्यान बालन, AIR 1999 SC 3762
- भगवान एवं अन्य बनाम हरियाणा सरकार, 1986 Cri LJ 1860 (P&H HC)
- भीम सिंह बनाम जम्मू एवं काश्मीर सरकार, AIR 1986 SC 498
- सीबीआई बनाम होपसन निंगसन (2010) 5 SCC 115
- चेयरमैन, रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिमा दास, AIR 2000 SC 988
- डी.के. बासु बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार, (1997) 1 SCC 416
- दिल्ली कामकाजी घरेलू महिला फोरम बनाम भारत सरकार (1995) 1 SCC 14
- दिलीप एस. धनुकर बनाम कोटक महिंद्रा कम्पनी लिमिटेड (2007) 6 SCC 528
- डॉ. जैकब जॉज बनाम केरल सरकार (1994) 3 SCC 430
- घनश्याम बनाम मध्य प्रदेश सरकार, (2006) 10 SCC 473
- हरि सिंह बनाम सुखबीर सिंह, AIR 1979 SC 1177
- इंद्र सिंह बनाम पंजाब सरकार, (1995) 3 SCC 702
- जाकिया नसीम अहेसन बनाम गुजरात राज्य, (2011) 12 SCC 302
- के.ए. अब्बास बनाम सबु जोसेफ, (2010) 6 SCC 230
- कस्तूरीलाल रलिया राम जैन बनाम यूपी. सरकार, AIR 1965 SC 1039
- कुमारी (श्रीमती) ए. बनाम तमिलनाडु सरकार, AIR 1992 SC 2096
- ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य, (2008) 8 SCC 225

- लिलु ऊर्फ राजेश बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य, (2013) 14 SCC 643
- मंगीलाल बनाम मध्य प्रदेश सरकार, AIR 2004 SC 1280
- मनीष जालान बनाम कर्नाटक सरकार, (2008) 8 SCC 225
- महमूद नय्यर आजम बनाम छत्तीसगढ़ सरकार, AIR 2012 SC 2573
- मोइनुद्दीन मुंशी बनाम मोहम्मद सिराज एवं अन्य, (2008) 8 SCC 434
- नरसिंह बनाम हरियाणा सरकार, (2014) SCC online SC 892
- नारायणम्मा (कुमारी) बनाम कर्नाटक सरकार, (1994) 5 SCC 728
- निलाबाती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार, AIR 1993 SC 1960
- पलानीप्पा गौंडर बनाम तमिलनाडु सरकार, AIR 1977 SC 1323
- पी. रथिनम बनाम गुजरात सरकार, 1994 SCC (Cri) 1163
- आर. डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2001) 1 SCC 437
- आर. मोहन बनाम ए. के. विजय कुमार, (2012) 8 SCC 721
- आर. एस. मिश्रा बनाम उड़ीसा सरकार, (2011) 2 SCC 689
- रछपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार, 2002 Cri. LJ 3540 SC
- रतन सिंह बनाम पंजाब सरकार, AIR 1990 SC 84
- रॉय फर्नांडीस बनाम गोवा सरकार, AIR 2012 SC 1030
- रुदाल शाह बनाम बिहार सरकार, (1983) 4 SCC 141
- नलिनी बाहोत के माध्यम से सहेली बनाम दिल्ली पुलिस मुख्यालय एवं अन्य, AIR 1990 SC 513
- सलील बाली बनाम भारत सरकार, AIR 2013 SC 3743
- साक्षी बनाम भारत सरकार, AIR 2004 SC 3566
- सरवन सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब सरकार, (1978) 4 SCC 111
- शैलेश जसवंतभाई बनाम गुजरात सरकार, (2006) 2 SCC 359
- शिव कुमार बनाम हुकम चंद, (1999) 7 SCC 467
- श्याम नारायण बनाम दिल्ली सरकार (दिल्ली एनसीटी), (2013) 7 SCC 77
- हरियाणा सरकार बनाम भजन लाल, 1992 Supp. (1) SCC 335
- महाराष्ट्र सरकार बनाम ईसाई समुदाय कल्याण परिषद, भारत, (AIR 2004 SC 7)
- मध्य प्रदेश सरकार बनाम बाबू बार्कर, (2005) 5 SCC 413
- मध्य प्रदेश सरकार बनाम सलीम, (2005) 5 SCC 554
- मध्य प्रदेश सरकार बनाम श्याम सुंदर त्रिवेदी एवं अन्य, (1995) 4 SCC 262
- मध्य प्रदेश सरकार बनाम संजीव नंदा, (2012) 8 SCC 450

- पंजाब सरकार बनाम अजायब सिंह, (1995) 2 SCC 486
- यू.पी. सरकार बनाम मुन्शी, (2008) 9 SCC 390
- सुगंति सुरेश कुमार बनाम जगदीशान, (2002) 2 SCC 420
- सुशील मुर्मू बनाम झारखंड सरकार, (2004) 2 SCC 338
- स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब सरकार, AIR 2000 SC 2017
- जहिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम गुजरात सरकार, (2004) 4 SCC 158

## 4. सलंगनक

### (1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्ग पीड़ित के अधिकार

**धारा 357: मुआवजा देने का आदेश:—**(1) जब कोर्ट जुर्माना लगाता है या सजा देता है (जिसमें मृत्युदण्ड भी शामिल है) जुर्माना जिसका एक हिस्सा होता है, कोर्ट निर्णय करते समय पूरा या आंशिक जुर्माना भुगतान करने का आदेश देता है जो निम्न पर प्रयोग किया जा सकता है:

- (क) मुकदमें में आए खर्च को चुकाने में
- (ख) अपराध के कारण किसी भी नुकसान या चोट के लिए मुआवजे के किसी भी व्यक्ति को भुगतान में, जब मुआवजा अदालत की राय में है उस व्यक्ति द्वारा नागरिक न्यायालय में वसूली योग्य हो।
- (ग) जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण समझा जाता है, ऐसे अपराध के किए जाने लिए किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 (1855 का 13) के तहत, उन लोगों को मुआवजे का भुगतान करने में जो इस तरह की मृत्यु से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए सजा सुनाए गए व्यक्ति से क्षतिपूर्ति के हकदार हैं।
- (घ) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसमें चोरी, आपराधिक कदाचार, आपराधिक उल्लंघन, धोखाधड़ी, या बेईमानी से प्राप्त धन शामिल है, या ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसके निपटान में स्वेच्छा से सहायता, चोरी किए गए संपत्ति को ठिकाने लगाने में सहायता की गई है, तो इस सम्पत्ति की हानि के लिए किसी भी खरीदार को मुआवजा देने में, यदि इस प्रकार की सम्पत्ति को उसके वास्तविक मालिक को लौटा दिया जाता है।

(2) यदि जुर्माना किसी ऐसे मामले में किया जाता है जो याचिका पर निर्भर है, इस प्रकार भुगतान याचिका की अवधि समाप्त होने तक नहीं किया जाएगा, या यदि एक याचिका के निर्णय से पहले एक याचिका दायर की जाती है।

(3) जब एक कोर्ट सजा देता है, जहां जुर्माना सजा का हिस्सा नहीं होता, तो कोर्ट निर्णय करते समय आरोपी व्यक्ति को आदेश में निर्धारित राशि का भुगतान मुआवजे के रूप में उस व्यक्ति को करने का आदेश दे सकता है जिसको दण्डित व्यक्ति के अपराध के कारण हानि या चोट पहुंची है।

(4) इस धारा के अंतर्गत एक याचिका कोर्ट या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है।

(5) उसी मामले से संबंधित बाद में किए गए नागरिक मुकदमे में मुआवजे का आदेश देते समय न्यायालय इस धारा के अंतर्गत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या लौटाई गई राशि को ध्यान में रखेगा।

**धारा 357: पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना:—**(1) प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहायोग से पीड़ित या उसके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या चोट पहुंची है और जिन्हें पनर्वास की आवश्यकता है, को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए एक योजना को तैयार करेगी।

(2) जब भी न्यायालय द्वारा मुआवजा देने की सिफारिश करता है, तो जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, जो भी मामला हो, उप-धारा (1) में वर्णित योजना के अंतर्गत मुआवजे की मात्रा का निर्धारण करेगा।

(3) यदि ट्रायल कोर्ट को मुकदमा खत्म होने पर लगता है कि धारा 357 के अंतर्गत दिए जाने वाला मुआवजा इस प्रकार के पनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, या जहां मुकदमे आरोपी के बरी होने या छूट जाने के साथ खत्म होते हैं और पीड़ित का पनर्वास करने की जरूरत होती है, वहां इसके द्वारा मुआवजे की सिफारिश की जा सकती है।

(4) जहां अपराधी पकड़ा नहीं जाता या पहचाना नहीं जाता, लेकिन पीड़ित को पहचान लिया जाता है, और जहां मुकदमा चलता है, पीड़ित या उसके आश्रित मुआवजे के लिए राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकार के पास आवेदन कर सकते हैं।

(5) इस प्रकार की सिफारिस प्राप्त होने पर या उप धारा (4) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकार दो माह के अंदर जांच को पूरा करके पर्याप्त मुआवजा देने का निर्णय देगा।

(6) राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकार, जो भी मामल हो, पीड़ित की पीड़ा को कम करने के लिए पुलिस थाना प्रभारी या उससे अधिक रैंक के अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट, या किसी अन्य उचित अंतरिम राहत प्राधिकार से प्रमाणपत्र मिलने पर तुरंत बिना किसी लागत के प्राथमिक उपचार सुविधा या चिकित्सा लाभ उपलब्ध करने का आदेश दे सकता है।

**धारा 357ग: पीड़ित का उपचार:—**सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है, भारतीय दण्ड संहिता धारा 326क, 376, 376क, 376ग, 376घ या धारा 376ड के अंतर्गत किसी भी अपराध से पीड़ित व्यक्ति को मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा उपचार प्रदान करेंगे, और तुरंत इस प्रकार की घटना के बारे में पुलिस को सूचित करेंगे।

**धारा 358: ऐसे व्यक्ति को मुआवजा जिसे बिना आधार के गिरफ्तार किया जाता है:—**(1) जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कारण पुलिस अधिकारी द्वारा पकड़ा जाता है, और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस प्रकार की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट एक हजार से कम राशि का मुआवजा उस व्यक्ति को देने का आदेश दे सकता है जिसका भुगतान उसे पकड़वाने वाले व्यक्ति को करना होगा, ताकि उसके समय की हानि और खर्चों को पूरा किया जा सके।

(2) इस प्रकार के मामलों में यदि एक से अधिक लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, तो न्यायधीश सभी को एक हजार या इससे कम राशि मुआवजे के रूप में देने का आदेश दे सकता है।

(3) इस धारा के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी मुआवजे एक जुर्माने के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं, और यदि इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह व्यक्ति जो इसका भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, को मजिस्ट्रेट द्वारा 30 दिन या उससे कम की जेल की जा सकती है।

**धारा 359: गैर-संज्ञेय अपराधों में लागतों के भुगतान का आदेश:—**(1) जब न्यायालय को एक गैर-संज्ञेय अपराध की शिकायत की जाती है, तो न्यायालय अगर आरोपी को कसूरवार पाता है



*Duties of Front Line Professionals towards Securing Justice for Victims: A Manual*

---

तो उस पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगा सकता है, शिकायतकर्ता को उसे आए खर्च को पूरा करने के लिए पूरा या आंशिक मुआवजा देने का आदेश दे सकता है, और इसके अलावा यह आदेश दे सकता है कि भुगतान न करने पर दोषी को तीस दिन की सजा हो सकती है और इस प्रकार की लागतों में प्रक्रिया शुल्क, गवाहों और अपीलकर्ता के शुल्क के खर्च शामिल हो सकते हैं, जिन्हें न्यायालय उचित समझता है।

(2) इस धारा के अंतर्गत एक अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए भी आदेश दिए जा सकते हैं।

## (2) पीड़ित प्रभाव विवरण के लिए अनुशंसित प्रारूप

प्राथमिक पीड़ित का नाम

आरोपी का नाम

बयान देने वाले व्यक्ति का नाम (यदि वह प्राथमिक पीड़ित से अलग है)

पीड़ित के साथ उस व्यक्ति का संबंध (यदि प्राथमिक पीड़ित से अलग है)

आपराधिक ओराप:

न्यायालय:

न्यायालय में तिथि:

निम्न खाली स्थान को मुकदमें के तथ्यों को आरोपी के अधिकारों को बनाए रखते हुए संक्षिप्त में लिखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है:

---

---

---

---

---

---

---

अपराध के प्रभाव के रूप में गैर शारीरिक पीड़ा (जैसे, मनोवैज्ञानिक/भावनात्मक/वित्तीय हानि/तनाव/भय/दुख/परेशानी/निराशा आदि)

---

---

---

---

---

---

---

*Duties of Front Line Professionals towards Securing Justice for Victims: A Manual*

अपराध के प्रभाव के रूप में शारीरिक चोटें (जिनमें प्राप्त किए गए उपचार का विवरण, पिछले या चल रहे चिकित्सा उपचार की लागत, दैनिक कार्यों आदि के लिए विकलांगता आदि शामिल हैं)

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features ten identical rows of horizontal guidelines. Each row is defined by three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. The rows are evenly spaced across the entire page, providing ample room for practicing letter formation and alignment. There is no text or other markings on the page.

This image shows a full page of handwriting practice paper. It contains ten identical rows of horizontal guidelines. Each row is composed of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. The rows are evenly spaced across the entire page, providing ample space for practicing letter formation and alignment. There is no text or other markings on the page.

यदि हां, तो क्या आप विवरण को खुद पढ़ना चाहेंगे: हां ☐ नहीं ☐

*Duties of Front Line Professionals towards Securing Justice for Victims: A Manual*

यदि आप चाहते हैं कि विवरण को जोर से न पढ़ाया जाए, तो इसे न्यायालय को दे दिया जाएगा।

न्यायालय की कार्यवाही में मैं इस विवरण के लिए सहमति देता/देती हूँ।

☐

मेरे ज्ञान के अनुसार यह कथन सत्य है:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

जहां यह बयान देने वाला व्यक्ति प्राथमिक पीड़ित नहीं होता, जहां भी संभव हो, प्राथमिक पीड़ित की सहमति की आवश्यकता होती है:

मैं, प्राथमिक पीड़ित हूँ, और मुझे उक्त व्यक्ति द्वारा यह प्रभाव विवरण देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर:

दिनांक:

## **CENTRE FOR CRIMINOLOGY & VICTIMOLOGY (CCV)**

The National Law University Delhi has set up an exclusive Centre for Advanced Research Training, Policy Analysis and Consultancy in the broader fields of Criminal Law, Criminal Justice and Victimology.

### **Objectives:**

The Centre will have the following key objectives:

1. Promoting research and action in this selected areas of criminal justice and victimology.
2. To undertake specific research projects in the said areas.
3. To propose training programmes to the various wings of criminal justice system including the stakeholders in the field of Juvenile justice.
4. To analyse and critically examine the laws, policy and programmes from the stand point of victim protection, rehabilitation, participation and justice.
5. To strive for providing a Victimological thrust in the legal education at graduate and under graduate level.
6. To organize students centric initiatives in the form of victim advocacy, legal clinic and outreach programme for extending victims support services.
7. To undertake publications and coordinate with various National and International agencies working in the broader areas of victimology and criminology.

### **Activities:**

The Centre for Criminology & Victimology was set up to contribute to fundamental and applied objectives dealing with Criminology and Victimology. In a setting of law University the activities of this Centre to bring important interdisciplinarity in Research and Learning. The Centre has already taken up a series of Training and Research programmes in some exciting areas dealing with Juvenile Justice, Gender Justice and Victimology.

**Publications:**

1. Victim Justice: A Paradigm shift in Criminal Justice System in India: published by Thomson Reuters Legal, New Delhi (2016)
2. Judgements that shaped the Indian Jurisprudence: Supreme Court rulings in perspective: published by Thomson Reuters Legal, New Delhi (2016)
3. Pre-Trial Process & Policing, Case Analysis & Judicial Discourse: published by National Law University Delhi Press (2017)
4. Perspectives of Justice: Restorative Justice and Child Sexual Abuse in India: published in collaboration of NLU Delhi and CSJ (Counsel to Secure Justice) (2018)

Contact: [ccv@nludelhi.ac.in](mailto:ccv@nludelhi.ac.in)







॥ न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात् ॥



**NATIONAL LAW UNIVERSITY, DELHI**

*Excelsior - Ever upwards is our moto*

SECTOR-14, DWARKA, NEW DELHI-110078

[www.nludelhi.ac.in](http://www.nludelhi.ac.in)

